जमाअत इस्लामी हिन्द
हलक़ा महाराष्ट्र

की मीक़ाती (चाल साला) योजना

नीति और कार्यक्रम

अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक के लिए

- दावत
- इस्लामी समाज
- उम्मत की सुरक्षा और तरक़्क़ी
- हिन्दुस्तानी समाज
- न्याय की स्थापना
- ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा)
- इस्लामी फ़िक्र का विकास
- शिक्षा
- तज़्किया और तरबियत
- तंज़ीम (संगठन)

जमाअते-इस्लामी हिन्द महाराष्ट्र की नीति और कार्यक्रम

अप्रैल 2019 ई॰ से मार्च 2023 ई॰

ऑफ़िस

जमाअते-इस्लामी हिन्द

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र, 4, हामिद बिल्डिंग,
पहली मंज़िल 96, हाफ़िज़ अली बहादुर मार्ग,
मौलाना आज़ाद रोड, मोमिनपुरा, मुम्बई-400011
फ़ोन : 011-23082820, 23052002
ई-मेल : office@jihmaharashtra.org

नोट : यह जमाअते-इस्लामी हिन्द, हलक़ा-ए-महाराष्ट्र की पॉलिसी और प्रोग्राम (अप्रैल 2019 ई॰ से मार्च 2023 ई॰ तक) का हिन्दी अनुवाद है, किन्तु केवल उर्दू भाषा में लिखित इसकी मूल प्रति सभी उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक और आधिकारिक समझी जाएगी।

नाम मूल किताब (उर्दू) : जमाअते-इस्लामी हिन्द, हलक़ा-ए-महाराष्ट्र की मीक़ाती पॉलिसी और प्रोग्राम

(अप्रैल 2019 ई॰ से मार्च 2023 ई॰)

पहला संस्करण : 2019 ई॰

संख्या : 2000

पृष्ठ : 72

मुद्रक :

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्रस्तावना

मुहतरम, तहरीकी साथियो और क़ाबिले-एहतिराम बहनो!

जमाअते-इस्लामी हिन्द, हलक़ा-ए-महाराष्ट्र

अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू

जमाअते इस्लामी हिन्द इस मुल्क में अल्लाह के दीन को क़ायम करने के लिए कई दहाइयों से लगी हुई है। दीन को क़ायम करने का यह अज़ीम काम बहुत ही संगठित और मंसूबाबन्द जिद्दो-जुहद चाहता है और मंसूबाबन्दी का अमल मुसलसल जाइज़ा और एहतिसाब (ख़ुद की जाँच-परख) के साथ काम की पॉलिसी को ख़ूब-से-ख़ूबतर का तक़ाज़ा करता है। इसलिए अपने नस्बुल-ऐन (उद्देश्य) को हासिल करने के लिए जमाअते-इस्लामी हिन्द एक तयशुदा मुद्दत के बाद ज़िम्मेदारियों से लेकर काम के मैदान और काम की पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का काम बड़ी पाबन्दी से करती है और हर मीक़ात के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम पर मुश्तमिल वाज़ेह दस्तावेज़ जारी करती है।

अल-हम्दुलिल्लाह! अप्रैल 2019 ई॰ से मार्च 2023 ई॰ की नई मीक़ात (सत्र) के लिए मर्कज़े-जमाअते-इस्लामी हिन्द ने अपना पॉलिसी और प्रोग्राम जारी कर दिया है और जमाअत की मर्कज़ी क़ियादत पूरी मुस्तैदी, हौसले और उमंग के साथ इसे लागू करने के लिए काम में मसरूफ़ हो चुकी है।

अज़ीज़ भाइयो और बहनो! जमाअते-इस्लामी हिन्द का पॉलिसी और प्रोग्राम हमारी मर्कज़ी क़ियादत के वीज़न और बड़े ग़ौर व ख़ौज़ का नतीजा है। यह मंसूबा जमाअत की मुल्की सतह पर तय की हुई पॉलिसियों, उन पॉलिसियों के तक़ाज़ों और मैदाने-अमल में हासिल किए जानेवाले वाज़ेह अहदाफ़ (लक्ष्यों) का मुरक़्क़ा (मिश्रण), यहाँ तक कि इस्लामी मिल्लत और पूरे समाज की तामीर (निर्माण) और तरक़्क़ी की बेहतरीन कार्य-नीति है।

जमाअते-इस्लामी हिन्द हलक़ा-ए-महाराष्ट्र ने मर्कज़ की इन पॉलिसियों, तक़ाज़ों और अहदाफ़ (लक्ष्यों) को नज़र में रखकर महाराष्ट्र रियासत की मिल्ली, समाजी और सियासी सूरते-हाल, दरपेश चैलेंज, दस्तयाब मौक़े, अपनी क़ुव्वत और वसाइल (संसाधनों) के मुताबिक़ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ तय की हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि इस मीक़ाती मंसूबे में दर्ज अज़ायम (संकल्पों और इरादों) और अहदाफ़ (लक्ष्यों) को हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ और सलाहियत दे। ये ख़ुतूते-कार (दिशा-निर्देश) मिल्लते-इस्लामिया (मुस्लिम समुदाय) और हमारे समाज के लिए ख़ैर और सलामती का बाइस (कारण) बनें। इस्लामी तहरीक तक़वियत (ताक़त और तरक़्क़ी) पाए। इसके निफ़ाज़ (लागू करना) की जिद्दो-जुहद से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। आमीन!

राहे-हक़ के साथियो!

मुहतरम अमीरे-जमाअत ने इस मीक़ात में हमारे कामों की दिशा को एक बड़े मानीख़ेज़ और इनक़िलाबी नारे से तय किया है—

"Younger Jamaat, Wider Jamaat, Stronger Jamaat."

पॉलिसी और प्रोग्राम में इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर यह हदफ़ (लक्ष्य) दिया गया है कि आज अरकान और कारकुनों में नौजवानों का जितना तनासुब (अनुपात) है, मीक़ात के ख़त्म होने तक इसको दोगुना होना चाहिए। मसलन आज अगर किसी मक़ाम पर नौजवान तीस फ़ीसद हैं तो मीक़ात के अन्त तक यह साठ फ़ीसद होने चाहिएँ। इसी तरह औरतों और बच्चों पर भी ख़ुसूसी तवज्जुह देनी है। हम समझ सकते हैं कि इस एक निशाने को हासिल करने से हम अपने हर महाज़ पर कैसी इनक़िलाबी बढ़त ले सकते हैं।

अज़ीज़ भाइयो और बहनो!

अमीरे-मुहतरम के इस नारे को ख़ाब बना लें और ख़ाब को हक़ीक़त में बदलने के लिए उठ खड़े हों। महाराष्ट्र रियासत इस हवाले से बड़ी ज़रख़ेज़ (उपजाऊ) और इमकानों और मौक़ों से भरपूर सरज़मीन है। मुझे उम्मीद है

कि हमारे तमाम भाई अपने मुस्तक़बिल (भविष्य) के बनाने को हर महाज़ और सरगर्मी में ध्यान में रखेंगे।

अज़ीज़ साथियो! हम एक नज़रियाती तहरीक के फ़र्द (सदस्य) हैं। इल्मी व फ़िक्री पुख़्तगी के बग़ैर कोई नज़रियाती तहरीक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय जो चैलेंज सामने है उसमें फ़िक्री और नज़रियाती बुनियादों पर मरकूज़ (केन्द्रित) रहे बग़ैर हम दो क़दम भी नहीं चल सकते। मर्कज़ ने इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस मीक़ात में इस्लामी फ़िक्र का फ़रोग़ (विकास) इस उनवान (विषय) से बाक़ायदा एक शोबा (शाखा) क़ायम किया है। मेरी गुज़ारिश (निवेदन) है कि जमाअत के साथी निजी तौर पर भी इल्मी और फ़िक्री तरक़्क़ी की तरफ़ तवज्जुह देते रहें।

एक अहम याददिहानी भी ज़रूरी महसूस होती है कि हमारे पैग़ाम और दावत का सबसे असरदार ज़रिआ हमारा शख़्सी (व्यक्तिगत) और इज्तिमाई (सामूहिक) किरदार (चरित्र) है। इस बात कि सख़्त ज़रूरत है कि हम अपने सारे महाज़ों (मोर्चों) और सरगर्मियों की रौशनी में अपनी इनफ़िरादी (व्यक्तिगत), ख़ानदानी और इज्तिमाई ज़िन्दगी को ढालें। यह याद रखें कि हमारी दावत और पैग़ाम के अव्वलीन मुख़ातब हम और हमारे ख़ानदान हैं। इस्लाह (सुधार) का पहला मैदान हमारे अपने मामलात हैं।

राहे-हक़ के साथियो! जिस काम और नस्बुल-ऐन (उद्देश्य) को हमने चुना है उसका इतिहास बताता है कि यह काम सिर्फ़ आरज़ुओं और तमन्नाओं से कभी नहीं हुआ है। जान, माल, पूँजी, वक़्त, सलाहियत, सब कुछ लगाए बग़ैर यह फलदार पेड़ नहीं बन सकता। इन सबको अल्लाह के रास्ते में लगाना इस आरज़ू के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और कह दे कि ''और दाख़िल हो मेरी जन्नत में।''

अल्लाह हम सबका हामी व मददगार हो। आमीन!

—रिज़्वानुर्रहमान ख़ान

अमीरे-हलक़ा

जमाअते-इस्लामी हिन्द महाराष्ट्र

वाबस्तगाने-जमाअत से ख़िताब

मुक़द्दमा

जमाअते-इस्लामी हिन्द के वर्तमान सत्र (अप्रैल 2019 से मार्च 2023 ई॰) की पॉलिसी और प्रोग्राम पेश करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि वह इस पॉलिसी और प्रोग्राम को देश और मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने का ज़रिआ बनाए और इसे अमल में लाने की हमें तौफ़ीक़ व क़ुव्वत बख़्शे। आमीन! यह पॉलिसी और प्रोग्राम एक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब हमारे देश और देश के मुसलमानों के सामने कई चैलेंज (चुनौतियाँ) हैं।

पिछले कुछ सालों में दुनिया में और हमारे देश में बड़ी दूर तक असर करनेवाली तबदीलियाँ ज़ाहिर हुई हैं और तबदीलियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिमी पूँजीवादी उपनिवेशवाद ने पूरी दुनिया को अपने मातहत लाने और ज़िन्दगी के वसीलों (संसाधनों) पर क़ब्ज़ा करने की मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम का दूसरा हिस्सा फ़ौज द्वारा और सीधे तौर पर आक्रामक कार्यवाइयों से है, जिनके ज़रिए से आज़ाद देशों (ख़ास तौर से मुस्लिम देशों) को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। इस मुहिम का तीसरा हिस्सा सियासी कार्यवाइयाँ और आलमी मआशी (आर्थिक) और सियासी इदारों (संस्थाओं) का शोषण है, जिसके ज़रिए से देशों की आज़ादी ख़त्म की जा रही है और मुख़्तलिफ़ बहानों से उनके अन्दरूनी मामलों में दख़ल दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेश की मुहिम का एक और हिस्सा बेहयाई, आज़ादपसन्दी और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना और आधुनिकता के नाम पर पूरी दुनिया में राइज करना है, ताकि भौतिकता पर आधारित जीवन-प्रणाली इतनी आम हो जाए कि पूरी दुनिया आलमी पूँजीवाद का बाज़ार बन जाए

और लोगों और क़ौमों के अन्दर अख़लाक़ी व तहज़ीबी गिरावट की वजह से इतनी ताक़त ही बाक़ी न रहे कि वे साम्राज्यवाद का मुक़ाबला कर सकें। इसी उपनिवेश के पेट से पिछले कुछ सालों में दुनिया-भर में नस्लवाद की आक्रामक तहरीकों ने जन्म लिया और अब वे तेज़ी से ताक़त हासिल करती जा रही हैं। पश्चिमी उपनिवेश इस्लाम को अपने रास्ते की एक बड़ी रुकावट समझता है, इसलिए आक्रामक नस्लवाद के साथ-साथ दुनिया-भर में इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम से डर पैदा करने की मुहिम भी ज़ोरों पर है।

जहाँ तक हमारे प्यारे देश का ताल्लुक़ है, उसने आज़ादी के बाद कई मोर्चों पर बहुत तरक़्क़ी की है। यहाँ की बड़ी आबादी और उच्च तकनीकी और कलात्मक योग्यताओं ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर मौक़े पैदा किए हैं। क्षेत्रों, नस्लों, भाषाओं और संस्कृतियों की भिन्नताओं के बावजूद सियासी और क़ानूनी एकता बरक़रार रही है और देश में बाक़ायदा चुनाव होते रहे हैं। माद्दापरस्ती और आज़ादपसन्दी के आलमी ग़ल्बे के इस दौर में मुल्क की आबादी की एक बड़ी संख्या अब भी अख़लाक़ी मूल्यों को मानती है और यहाँ की आम आबादी पर धर्म और उसके अख़लाक़ी विचारधाराओं के गहरे प्रभाव मौजूद हैं। इन क़द्रों के क़ाबिल पहलुओं के साथ बहुत-से पहलू ऐसे भी हैं जो चिन्ता का विषय हैं।

इस समय उन चिन्ताजनक पहलुओं में सबसे नुमायाँ फ़िरक़ापरस्त आक्रामकता का तेज़ी से फैलना है। फ़िरक़ापरस्ती का ज़हर अब समाज में भी दाख़िल होता जा रहा है। इसके कारण जहाँ देश के समाजी ताने-बाने और क़ानून के शासन को सख़्त ख़तरों का सामना है, वहीं हक़ और इनसाफ़ की बात कहना और सुनना भी कठिन होता जा रहा है। चूँकि इस फ़िरक़ापरस्त आक्रामकता के गहरे रिश्ते अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेश से भी हैं, इसलिए इस्लाम को बदनाम करने, उसे आतंकवाद से जोड़ने और मुसलमानों के अन्दर इन्तिहापसन्दी को बढ़ाने में भी यह फ़िरक़ापरस्ती सरगर्म किरदार अदा कर रही है। समाज में जुदाई पैदा करना और देश के विभिन्न धार्मिक गरोहों में मुसलसल तनाव और कशमकश का वातावरण पैदा करना, इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से ग़लतफ़हमियाँ और डर पैदा करना और

मुसलमानों के हौसलों को पस्त करना फ़िरक़ापरस्त आक्रामकता के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

देश का आम सामाजिक वातावरण अब भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। यहाँ का मिज़ाज आमतौर से रवादारी और एक-दूसरे के प्रति एहतिराम और सम्मान के जज़्बों से भरा पड़ा है। फ़िरक़ापरस्त आक्रामकता के ख़िलाफ़ हर जगह हौसलामन्द लोग और गरोह मुसलसल काम में लगे हुए हैं। इस्लाम को जानने और समझने की प्यास और तड़प भी लगातार बढ़ रही है।

यह मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वे अल्लाह की हिदायत की रौशनी में देश के हालात की इस्लाह और दुरुस्तगी की ज़िम्मेदारी अंजाम दें। सारे इनसानों को एक ख़ुदा की बन्दगी की तरफ़ ध्यान दिलाएँ। ख़ुदा से ख़ौफ़ की बुनियाद पर एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें। तमाम इनसानों के लिए रहमत बनकर सामने आएँ। इस्लाम की तरफ़ बुलानेवाले और उसके नुमाइन्दे बनें। अपनी बात से भी इस्लाम की दावत दें और अपने अमल से भी इस्लाम का अमली नमूना पेश करें। बदक़िस्मती से मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा अपनी इस ज़िम्मेदारी से ग़ाफ़िल है और आम मुसलमानों का रवैया और किरदार इस्लाम की ग़लत तस्वीर पेश कर रहा है।

मुसलमानों के हालात का एक चिन्ताजनक पहलू उनकी इस्लामी शिक्षा प्रणाली और परिशिक्षण के पतन का है। मुसलमानों के अन्दर दीनी रूह को बाक़ी रखने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की लगातार इस्लाह होती रहे और उनमें क़ुरआन और हदीस की शिक्षा का काम अंजाम पाए। कई कारणों की बुनियाद पर यह निज़ाम पतन का शिकार है। तालीमी व तरबियती इदारों और संस्थाओं में वे ख़राबियाँ आ गई हैं जो इस्लामी रूह के ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर धार्मिक जड़ता, प्रतीकों पर असन्तुलित ज़िद, इज्तिहाद का न पाया जाना, ज़माने के हालात से लाताल्लुक़ी, बिदअतों का अमल-दख़ल, आख़िरत को भुला देना और दुनियातलबी आदि।

दूसरा ध्यान दिए जाने लायक़ पहलू मुसलमानों का उन बुनियादी इस्लामी मूल्यों को भुला देना है, जिन्हें इस्लामी तालीमात में नुमायाँ मक़ाम

हासिल है। अब मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िन्दगी हक़ीक़त में लोगों के दरमियान बराबरी, अद्ल व इनसाफ़, सलाह-मश्वरे से काम करना, ज़मीर की आज़ादी और राय की आज़ादी जैसे इस्लामी मूल्यों को पेश नहीं कर रही है। इस बुनियाद पर अब मुस्लिम समाज में आम इनसानों के लिए वह दिलचस्पी और लगाव नहीं पाया जाता जो हक़ की लाज़िमी ख़ुसूसियत है।

मुसलमानों की हालत का सबसे ज़्यादा ध्यान देने के क़ाबिल पहलू अपनी पद और ज़िम्मेदारियों के शुऊर का न होना है। मुसलमान आमतौर से यह बात भूल गए हैं कि वे बेहतरीन उम्मत हैं और उनके वुजूद का मक़सद तमाम इनसानों के सामने हक़ की गवाही देना है। इस ग़फ़लत और लापरवाही ने उनको दुनिया की दूसरी क़ौमों की तरह एक क़ौम बना दिया है और यह बात उन्हें याद नहीं रही है कि हक़ीक़त में वे पूरी इनसानियत का भला चाहनेवाले, रहनुमा और नायक हैं। मक़सद से दूरी की वजह से उनके अन्दर वे तमाम कमज़ोरियाँ पैदा होती चली गई हैं जो बेमक़सद गरोहों की पहचान हुआ करती हैं। मिसाल के तौर पर आसानी चाहना, काहिली, सुस्ती, कोई दिशा का न होना, बिखराव, बेराहरवी, मायूसी, अख़लाक़ी गिरावट आदि। इनका तालीमी और मआशी पिछड़ापन और बेचारगी व बेबसी भी अस्ल में इसी का नतीजा है। अपने पद और ज़िम्मेदारी का शुऊर न होने और हालात के दबाव ने इनके अन्दर आमतौर से केवल अपने बचाव करने का ज़ेहन पैदा कर दिया है। पूरी इनसानियत की भलाई सोचने के बजाय, वे केवल अपने मसलों के बारे में सोचते हैं और आम इनसानों के मसलों से दिलचस्पी नहीं लेते।

लेकिन दूसरी तरफ़ यह भी हक़ीक़त है कि मुसलमानों में ख़ासतौर से नौजवानों में अब दीनी जागरूकता आ रही है। वे दीन पर अमल की तरफ़ ध्यान दे रहे हैं और देश, मानवता और मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनके इन जज़्बों को तामीरी और बामक़सद रुख़ दिया जाए।

जमाअते-इस्लामी हिन्द का लक्ष्य दीन को क़ायम करना है, जो अस्ल में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। मुसलमानों की इसी ज़िम्मेदारी 'दीन को क़ायम

करना' के तहत जमाअते-इस्लामी हिन्द इस देश में इस्लाम धर्म की दावत देने और इनसानों को एक स्रष्टा और स्वामी के आगे मुकम्मल अपने-आपको हवाले करने और ज़िन्दगी के प्रत्येक विभागों में उसकी बन्दगी और फ़रमाँबरदारी की तरफ़ बुला रही है और इसके लिए कोशिश कर रही है।

धर्म यानी इस्लाम धर्म, इनसान को अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों की बन्दगी और हर तरह की ग़ुलामी से मुक्ति दिलाकर केवल एक अल्लाह की बन्दगी अपनाने की ओर बुलाता है, जिसपर चलकर वह अल्लाह की नाराज़गी और उसके अज़ाब से मुक्ति पा सकता है और उसकी रिज़ा और आख़िरत में उसकी रहमतों से मालामाल हो सकता है। यह दीने-फ़ितरत है और लोगों के साथ इनसानी समाज के तमाम मसलों का फ़ितरी और सही हल भी पेश करता है। यह दीन बिना रंग व नस्ल के किसी फ़र्क़ के तमाम लोगों और तबक़ों के लिए भलाई, अद्‌ल व इनसाफ़ और तामीर व तरक़्क़ी का ज़िम्मेदार है।

जमाअते-इस्लामी हिन्द अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए अस्ल में अल्लाह की किताब और नबी (सल्ल॰) की सुन्नत की पाबन्द है और इनकी रौशनी में अख़लाक़ी, तामीरी, अम्न व शान्ति से भरपूर, जमहूरी और आईनी तरीक़े अपनाती है और उन तमाम बातों से बचती है, जो भलाई, अमानत, सच्चाई और ईमानदारी के ख़िलाफ़ हों, या जिनसे फ़िरक़ावाराना नफ़रत, गरोही कशमकश और ज़मीन में तबाही व बरबादी ज़ाहिर होती हो।

ऊपर जिन हालतों का ज़िक्र किया गया है, उनमें इस लक्ष्य और ज़िम्मेदारी के कई तक़ाज़े हैं, सबसे अहम तक़ाज़ा यह है कि इस्लाम के बारे में ग़लतफ़हमियाँ दूर हों। देश के आम नागरिक इस्लाम की हक़ीक़ी तालीमात को जानें। सकारात्मक तौर पर उनका ज़ेहन बदले और आम नागरिकों के रुझानों की तरबियत हो। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि प्यारे वतन में नफ़रत और दूरियों का माहौल ख़त्म हो। एक-दूसरे को समझने की संजीदा और ग़ैर-जानिबदाराना व ईमानदाराना कोशिशों की तरफ़ यहाँ के मुख़्तलिफ़ धार्मिक गरोह मुतवज्जेह हों।

एक अहम तक़ाज़ा यह भी है कि मुसलमान इस्लाम का अमली नमूना बनें और मुस्लिम समाज इस्लाम की हक़ीक़ी तालीमात का आईना बन जाए। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि इस देश में मुसलमानों की जान व माल और उनके दीनी व तहज़ीबी पहचान की हिफ़ाज़त हो और वे मुख़्तलिफ़ मैदानों में तरक़्क़ी करें, ताकि वे एतिमाद और ताक़त के साथ इस्लाम की नुमाइन्दगी कर सकें।

जमाअते-इस्लामी हिन्द की यह पॉलिसी और प्रोग्राम हालात के इस विश्लेषण और इन हालात में दीन को क़ायम करने के लिए ऊपर बयान किए गए तक़ाज़ों को सामने रखकर तरतीब दिया गया है। इसमें दीन की तरफ़ बुलाना और हिन्दुस्तानी समाज से जुड़े कामों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, ताकि समाज में अच्छे मूल्यों की न केवल हिफ़ाज़त हो, बल्कि उनका अधिक बढ़ावा मिले और एक-दूसरे के दरमियान फ़र्क़ करने और लड़ाई-झगड़े का माहौल दूर हो और देशवासी इस्लाम की हक़ीक़ी तालीमात से वाक़िफ़ हों।

इसी तरह इसमें इस्लामी समाज और मुसलमानों की हिफ़ाज़त उनकी तरक़्क़ी और जमाअत से जुड़े लोगों की तरबियत और संगठन के काम को भी महत्व दिया गया है, ताकि जमाअत से जुड़े लोग मुसलमानों की अगुवाई करें और तमाम मुसलमानों को दीन की दावत देने और देश की इस्लाह व तामीर के मिशन के लिए तैयार करें और मुसलमानों को साथ लेकर इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दे सकें, जो मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी है।

इस तरह यह काम, यानी दीन की दावत, हिन्दुस्तानी समाज, इस्लामी समाज, मुसलमानों की हिफ़ाज़त व तरक़्क़ी और तरबियत व तंज़ीम से मुताल्लिक़ काम, जमाअत के बुनियादी काम हैं, जिनपर जमाअत की तमाम इकाइयाँ भरपूर तवज्जुह देंगी और इन मोर्चों पर लाज़िमी तौर पर काम करेंगी और कोशिश करेंगी कि सत्र के ख़त्म होने तक इन मोर्चों पर कुछ ठोस और सकारात्मक तबदीलियाँ समाज में महसूस हों।

देश में अद्ल व इनसाफ़ की स्थापना, लोगों की ख़िदमत और शिक्षा से

जुड़े काम भी जमाअत के महत्वपूर्ण काम हैं। इस पॉलिसी और प्रोग्राम में शिक्षा को एक मुस्तक़िल अध्याय के तौर पर शामिल किया गया है और कई मनसूबों के साथ शिक्षा के विभाग को महत्व दिया गया है। इन कामों पर भी जमाअत के तमाम हल्क़े तवज्जुह देंगे और जहाँ भी मक़ामी जमाअतें इन कामों को अंजाम देने के योग्य होंगी, वे उन्हें अंजाम देने की कोशिश करेंगी।

इस सत्र की पॉलिसी में इस्लामी सोच व फ़िक्र को बढ़ावा देने के नाम से इल्मी व तहक़ीक़ी कामों को भी अहमियत के साथ शामिल किया गया है। इस समय इस्लामी कोशिशों को मौजूदा चैलेंज का एक पहलू जहाँ अमली है, वहीं एक अहम पहलू फ़िक्री भी है। मौजूदा ज़माने के मसलों के ताल्लुक़ से इस्लाम को एक विकल्प के तौर पर पेश करना और इस्लाम की तालीमात के हक़ में एक ताक़त से भरपूर डिस्कोर्स खड़ा करना, संजीदा इल्मी कोशिशों की माँग करता है। जमाअत के सलाहियतमन्द लोग इस मोर्चे पर भी ध्यान देंगे। इन-शाअल्लाह।

इस पॉलिसी व प्रोग्राम में नौजवानों, औरतों और बच्चों में काम को अहमियत दी गई है। नौजवानों की ताक़त के भरपूर इस्तेमाल के बिना कोई भी समाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। हमारी कोशिश होगी कि नौजवान भारी संख्या में तहरीक से जुड़ें और उनकी क़ुव्वतों और ताक़तों का तामीरी इस्तेमाल हो। इसी तरह औरतों में पिछले कुछ सालों में जो ज़बरदस्त जागरूकता आई है, उसको नतीजाख़ेज़ रुख़ देने और उनकी क़ुव्वतों को पूरी तहरीक के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मौजूदा आलमी व मुल्की हालतों का यह एक अहम तक़ाज़ा है कि हम नई नस्ल पर तवज्जुह दें और बच्चों की सही तरबियत को अपना निहायत अहम काम समझें।

जमाअत की सरगरमी के ये मुख़्तलिफ़ मोर्चे इसके मक़सद व उद्देश्य के मुख़्तलिफ़ माँगों को पूरा करने का ज़रिआ हैं, लेकिन अस्ल में ये मोर्चे एक ही बड़े मक़सद को पाने का ज़रिआ हैं। जमाअत के दस्तूर में इसका काम करने का तरीक़ा बयान करते हुए एक अहम बात यह भी कही गई है कि ‘वह तबलीग़ व नसीहत और फ़िक्र को फैलाने के ज़रिए से ज़ेहनों और सीरतों की इस्लाह करेगी और इस प्रकार देश की समाजी ज़िन्दगी में

अपेक्षित अच्छे इनक़िलाब लाने के लिए आम लोगों की तरबियत करेगी। ये सारे मोर्चे अस्ल में उसी उद्देश्य, यानी देश के आम लोगों की सोच में बदलाव लाने के लक्ष्य को पाने का ज़रिआ हैं और उन मोर्चों पर अंजाम पानेवाली सरगर्मियों का फ़ायदा इस शर्त पर हासिल हो सकता है कि ये सारे काम इसी अस्ल मक़सद को मर्कज़ बनाकर अंजाम दिए जाएँ और उनके दरमियान मक़सदी ताल्लुक़ बाक़ी रहे।

मैं जमाअत से जुड़े तमाम लोगों और सभी मुसलमानों से यह अपील करता हूँ कि वे पॉलिसी और प्रोग्राम में मुहैया किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार देश में बेहतरीन और अच्छी तबदीली लाने के लिए सरगर्म हो जाएँ और पूरे एतिमाद व हौसले के साथ इसे अमल में लाने की कोशिश करें। अल्लाह क़ुरआन, सूरा-29 अन्‌कबूत, आयत-69 में फ़रमाता है–

> ''जो लोग हमारी राह में जिद्दो-जुहद करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएँगे।''

अल्लाह हमारा हिमायती और मददगार हो। आमीन!

–सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी
अमीर, जमाअते-इस्लामी हिन्द
नई दिल्ली, 25 जून 2019

पॉलिसी और उसके तक़ाज़े

दावत

पॉलिसी

जमाअत दावत का काम इस तरह अंजाम देगी कि हमारा देश अल्लाह की हिदायत और मार्गदर्शन से आशना हो जाए। तौहीद (एकेश्वरवाद), रिसालत व आख़िरत (ईशदूतत्व और परलोकवाद) के तसव्वुरात और उनके तक़ाज़ों से देशवासी वाक़िफ़ हो जाएँ और यह हक़ीक़त उनपर वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम ही अकेला दीने-हक़ (सत्य धर्म) और अद्ल व रहमत का निज़ाम है, जिसका इख़्तियार करना दुनियावी फ़लाह और उख़रवी निजात (सांसारिक कल्याण और पारलौकिक मोक्ष) की ज़मानत देनेवाला और जिसका इनकार दुनिया और आख़िरत (लोक और परलोक) के घाटे का कारण है। वहदते-बनी-आदम (मानव-एकता), इनसानों का एहतिराम और इनसानी बराबरी के इस्लामी तसव्वुरात देशवासियों पर वाज़ेह हो जाएँ, देश में लोग इस्लाम से पूरी तरह परिचित हों, इस्लाम, मुसलमानों और तहरीके-इस्लामी के बारे में उनकी जो अनभिज्ञता, ग़लतफ़हमियाँ और बदगुमानियाँ हों, वे दूर हो जाएँ।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी—

(1) देशवासियों से इनसानी बुनियादों पर कुशादा ताल्लुक़ात मज़बूत हों।

(2) इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फैलाई जानेवाली ग़लतफ़हमियाँ दूर हो जाएँ। ख़ास तौर पर औरतों की हैसियत और आतंकवाद के सिलसिले में।

(3) यह हक़ीक़त उनपर वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम अपना अक़ीदा (आस्था) किसी पर ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं थोपता और हर गरोह की

मज़हबी आज़ादी को तसलीम करता है।

(4) यह हक़ीक़त अच्छी तरह सामने आ जाए कि इस्लाम ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ़लाह व निजात का साधन है।

(5) भलाई को फैलाने और बुराई को दूर करने में देशवासियों का अमली सहयोग हासिल हो।

(6) शिर्क, नास्तिकता और अन्य सत्य-विरुद्ध विचारधाराओं का असत्य होना उनपर स्पष्ट हो जाए।

(7) मस्जिद और मदरसे के कामों से वाक़फ़ियत और जानकारी के लिए देशवासियों को दावत दी जाए।

जुमा की नमाज़, ईदैन (ईद-बक्र-ईद) और तरावीह आदि के अवसरों पर भी ऐसे प्रोग्राम रखे जा सकते हैं।

(8) देशवासियों के लिए क़ुरआन के दर्स की मजलिसों का आयोजन किया जाए।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

(1) जमाअत अपने अरकान और कारकुनान के ज़रिए से बिरादराने-वतन तक दीन का पैग़ाम इस तरह पहुँचाएगी कि हरेक रुक्न व कारकुन कम-से-कम पाँच (5) वतनी भाई हक़ के पैग़ाम से अवगत हो जाएँ, जिनमें 20 प्रतिशत बाअसर तबक़े से ताल्लुक़ रखते हों।

(2) जमाअत इज्तिमाई तौर पर दावत का काम इस तरह अंजाम देगी कि जमाअत की अफ़रादी ताक़त से 20 (बीस) गुना तादाद तक इस्लाम का पैग़ाम पहुँच जाए।

(3) सहायक बनाने की कोशिशें इस तरह की जाएँगी कि जमाअत की अफ़रादी ताक़त के बराबर संख्या में वतनी भाई भी सहायक बन जाएँ।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) हर रुक्न और कारकुन कम-से-कम पाँच देशवासी तक ख़ासकर बाअसर तबक़े (यानी मज़हबी रहनुमा, पत्रकार, वकील, जज, पुलिस स्टॉफ़, साहित्यकार, फ़िरक़ापरस्त तंज़ीमों के ज़िम्मेदार और सरकारी ज़िम्मेदार) तक क़ुरआन और सीरत (जीवनी) का पैग़ाम इस तरह पहुँचाएगा कि वे पैग़ामे-हक़्क़ से परिचित हो जाएँ।

(हलक़े का मीक़ाती हदफ़ यानी लक्ष्य : मर्द 61 हज़ार छह सौ, औरतें बाईस हज़ार एक सौ, कुल मिलाकर तिरासी हज़ार सात सौ)

(2) हर रुक्न और कारकून देश की चार फ़ैमिलियों से राब्ता भी रखेगा। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ : मर्द उनचास हज़ार दो सौ अस्सी, औरतें सतरह हज़ार छह सौ अस्सी, कुल मिलाकर छियासठ हज़ार नौ सौ साठ)

(3) हर रुक्न और कारकुन देशवासियों से दोस्ती और मेल-जोल बढ़ाएगा। इसके लिए नीचे लिखे तरीक़े और ज़रिए इस्तेमाल करेगा–

खाने की दावत, टी पार्टी, इफ़्तार प्रोग्राम, ईद-मिलन प्रोग्राम, तोहफ़े, ख़ुशी और ग़म के मौक़े पर मुलाक़ातें वग़ैरा।

(4) जमाअत के साथी देशवासी भाइयों और बहनों में साप्ताहिक 'शोधन', 'कान्ति' और 'रेडियंस' को आम करने और दावती वेबसाइट और इस्लामिक इंफ़ोर्मेशन सेन्टर (आई॰आई॰सी॰) से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे।

(5) जमाअत का हर फ़र्द मीक़ात (सत्र) में कम-से-कम देश के एक भाई को मददगार बनाने की कोशिश करेगा।

(6) जमाअत के साथी जो मराठी नहीं जानते, वे उसे सीखकर उसमें अच्छी सलाहियत भी मुहैया कराएँगे।

मक़ाम के लिए

(1) हर मक़ाम इस्लाम की दावत और इसके परिचय, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ग़लतफ़हमियों और बदगुमानियों को दूर करने और इस्लाम के तसव्वुरात (मान्यताओं) मसलन इनसान के एहतिराम और इनसानी बराबरी को आम करने के लिए नीचे लिखे तरीक़े और ज़रिए इख़्तियार करेगा–

वुफ़ूद (प्रतिनिधिमण्डल) की शक्ल में दावती फ़ील्ड वर्क, बुक स्टॉल, ख़िताबे-आम (सार्वजनिक भाषण), कॉर्नर मीटिंग, हॉस्पिटल विज़िट, मस्जिद और मदरसा परिचय प्रोग्राम, दावत एग्ज़बीशन, ईद-मिलन प्रोग्राम, जेल में प्रोग्राम, पैग़म्बर-परिचय प्रोग्राम, अख़बारों में लेख, ऑटोरिक्शा दावती किट और बैनर, गाँव में प्रवचन, परीक्षित कथाएँ और छोटे गाँव में दावती फ़ील्ड वर्क वग़ैरा।

(2) मक़ामी जमाअतें और हलक़े के कारकुन वतन के भाइयों और बहनों के लिए मासिक दावती इज्तिमा या क़ुरआन प्रवचन का ज़रूर ही एहतिमाम करेंगे।

(3) मक़ामी जमाअतें अपने मक़ाम पर देश के भाइयों के किसी एक इदारे को तय करके दावती सरगर्मियों को केन्द्रित करेंगी।

(4) बड़े शहरों में नीचे लिखे ज़रिए और तरीक़े इख़्तियार किए जाएँगे।

मज़हबी इबादतगाहों में इंटरफ़ैथ डायलॉग, सिम्पोज़ियम, पुलिस स्टेशनों में प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक और शोसल मीडिया टी॰वी॰, टॉक शो और मस्जिद परिचय प्रोग्राम वग़ैरा।

(5) मुम्बई मैट्रों में बोलीवुड से मुताल्लिक़ अफ़राद (व्यक्तियों) तक दावत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी।

(6) बड़े शहरों में भाइयों और बहनों के लिए पार्ट टाइम तालीम और तरबियतगाह (शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र) क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

(7) पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और मुख़्तलिफ़ ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ से दावती राब्ते रखे जाएँगे।

(8) जमाअत के दावती काम का परिचय कराने और इस काम की अहमियत और ज़रूरत पर बातचीत, साथ ही मदद हासिल करने की ग़रज़ से उलमा-ए-किराम, साथ ही बाअसर (प्रभावशाली) मुस्लिम शख़्सियतों से मुलाक़ातें की जाएँगी।

(9) दावती काम करनेवाले दीगर मुस्लिम ग्रुप से सहयोग किया और लिया जाएगा।

(10) मुस्लिम मिल्लत के लोगों, ख़ासकर नौजवानों में दावत के जज़्बे को उभारा जाएगा। उनको दावती चीज़ें मुहैया कराई जाएँगी और उनको अमली दाई (दावत देनेवाला) बनाने की कोशिश की जाएगी।

(11) हर मक़ाम अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ मराठी में भाषण देनेवाले की तैयारी को यक़ीनी बनाएगा।

हलक़े के लिए

(1) इस्लाम के परिचय, मुसलमानों और इस्लामी तहरीकों के बारे में ग़लतफ़हमियों और बदगुमानियों को दूर करने के लिए, साथ ही इनसानी बराबरी के तसव्वुर (धारणा) को वाज़ेह करने के लिए हलक़े की सतह पर तयशुदा टीम बाअसर (प्रभावशाली) शख़्सियतों (जैसे समाजी और मज़हबी रहनुमा और तबक़ों और इदारों के ज़िम्मेदार, सरकारी ओहदेदार, डॉक्टर, प्रोफ़ेशनल, जज, बिज़नेस एक्ज़िक्यूटिव्स, पत्रकार, विद्वान, लेखक, सियासतदाँ और समाजी नौजवान रहनुमा) से मुलाक़ात और राबितों का एहतिमाम करेगी और ज़रूरत के मुताबिक़ उनके साथ बैठकों का एहतिमाम किया जाएगा।

(2) हलक़े में सौ ऐसे दाई (दावत देनेवाले) और मुक़र्रिर (भाषण देनेवाले) तैयार किए जाएँगे, जो भाषा और जानकारी की बुनियाद पर सुननेवालों को ग़ौर व फ़िक्र पर आमादा कर सकें।

(3) हलक़े की सतह पर मर्द और औरतों के लिए इलाक़ाई बुनियाद पर

नीचे लिखे के मुताबिक़ कैम्पस आयोजित किए जाएँगे।

(i) दाइयाने-तैयारी कैम्प, (ii) मराठी मुक़र्ररीन (भाषण देनेवाले) तैयारी कैम्प।

(4) हलक़े के दस मक़ामों पर बड़े पैमाने पर पब्लिक क़ुरआन प्रवचन के प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे।

(5) हलक़े की सतह पर एक दावती मुहिम चलाई जाएगी।

(6) रियासत के बारे में वतन के भाइयों के मुद्दे और मनोविज्ञान को नज़र के सामने रखते हुए नया दावती लिट्रेचर तैयार करने की कोशिश की जाएगी।

(7) मक़ामों से मुआविनसाज़ी (मददगार बनाना) इस तरह करवाई जाएगी कि मौजूदा मीक़ात में जमाअत की अफ़रादी क़ुव्वत बराबर इज़ाफ़ा हो जाए। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ : मर्द 12,320, औरतें 4,420, कुल मिलाकर 16,740)

(8) हलक़े में क़ायम दावती वेबसाइट और इस्लामिक इन्फ़ोर्मेशन सेन्टर (IIC) को मुस्तहकम किया जाएगा और इनसे फ़ायदा उठाने के सिलसिले में समय-समय पर फलदायक मुहिमें भी चलाई जाएँगी।

(9) हिदायतयाफ़्ता लोगों की तालीम व तरबियत के मर्कज़ों को सुसंगठित (मुनज़्ज़म) और सुदृढ़ (मुस्तहकम) किया जाएगा।

(10) दावती मक़सदों को हासिल करने के लिए वीडियो क्लिप्स बनाने और वेबसीरीज़ चलाने के लिए मंसूबा बनाया जाएगा।

(11) पाँच मज़हबी मक़ामों पर दावती मर्कज़ क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

इस्लामी समाज

पॉलिसी

(क) जमाअत मुसलमानों में इस्लाम के सही और जामेअ (व्यापक) तसव्वुर, यहाँ तक कि इनफ़िरादी और इज्तिमाई (व्यक्तिगत और सामूहिक) ज़िन्दगी में उसके तक़ाज़ों को हिकमत के साथ इस तरह वाज़ेह करेगी कि मिल्लत (मुस्लिम समुदाय) के अन्दर आख़िरत की जवाबदेही का एहसास, ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करने की तलब और रसूल (सल्ल०) की मुहब्बत और इताअत (फ़रमाँबरदारी) का जज़्बा बेदार हो। उनकी ज़िन्दगियाँ फ़िक्र व अमल (चिन्तन और कर्म) की ख़राबियों और शिर्क व बिदअत की गन्दगियों से पाक और इस्लामी तालीमात के बिलकुल मुताबिक़ हों। मुसलमानों में अपने ख़ैरे-उम्मत (कल्याणकारी समुदाय) होने का शुऊर पैदा हो और वे किताब व सुन्नत की बुनियाद पर एकजुट होकर शहादते-हक़ (हक़ की गवाही देने) का फ़र्ज़ अदा कर सकें और इक़ामते-दीन (धर्म की स्थापना) के अपने उद्देश्य के तक़ाज़े पूरे कर सकें।

(ख) जमाअत की कोशिश होगी कि परिवार का गठन इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप हो, बच्चों और नौजवानों की इस्लामी तरबियत की व्यवस्था हो और उन्हें पश्चिमी और मुशरिकाना संस्कृति के प्रभाव से बचाया जाए। महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान हो और समाज में उनकी वास्तविक हैसियत उन्हें हासिल हो और वे भलाइयों को फैलाने और बुराइयों को रोकने में अपनी भूमिका निभाएँ।

(ग) जमाअत इस बात की कोशिश करेगी कि इस्लामी समाज के गठन के लिए मस्जिदों, मक्तबे, दारुल-क़ज़ा और अन्य सामाजिक और जनकल्याण के इदारे और संस्थाएँ स्थापित हों और वे इस्लामी मूल्यों का प्रतीक हों।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी—

(1) मुसलमानों में क़ुरआन और सुन्नत से फ़ायदा उठाने का मिज़ाज आम हो।

(2) मुस्लिम समाज में नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और दूसरे फ़र्ज़ कामों को अदा करने का एहतिमाम हो।

(3) आपसी कशमकश और मसलकी तास्सुब से बुलन्द होकर वे आनेवाले चैलेंजों का मुक़ाबला करें।

(4) मुसलमानों पर इस्लामी इज्तिमाइयत की अहमियत व ज़रूरत वाज़ेह हो और उसकी बरकतों और फ़ायदों से वे आगाह हों।

(5) मुस्लिम नौजवानों को ज़िन्दगी के मक़सद से बाख़बर किया जाए और उनकी सलाहियतों के सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल के मौक़े जुटाए जाएँ।

(6) मस्जिदें, मुसलमानों की तालीम और तरबियत और इज्तिमाई मामलों को अंजाम देने का मर्कज़ बनें।

(7) मिल्लत के समाजी, तालीमी और रिफ़ाही इदारे इस्लामी मूल्यों के पाबन्द हों, मिसाल के तौर पर अमानत व दियानत, अद्ल व इनसाफ़, इनसानों की इज़्ज़त, पारदर्शिता, शूराइयत, उसूल और ज़ाब्तों की पाबन्दी और हुस्ने-कारकर्दगी।

(8) रिश्तों के चुनाव में इस्लामी मेयार, निकाह के इस्लामी आदाब, दहेज माँगने की बुराई और लानत, फ़ुज़ूलख़र्ची के नुक़सानात, बच्चों की तालीम व तरबियत के उसूलों और विरासत के शरई क़ायदों से मुसलमान परिचित हों और समाज में इस्लामी शिक्षाओं पर अमल करने का एहतिमाम हो।

(9) शौहर-बीवी में तनाव की रोकथाम के लिए इस्लामी हिदायतों से मुसलमानों को अवगत कराया जाए, जिनमें इस्लाही तदबीरें, तहकीम और तलाक़ का मसनून तरीक़ा और ख़ुला के आदाब शामिल हैं।

विवादों की सूरत में दारुल-क़ज़ा की ओर रुजू किया जाए।

(10) कौंसिलिंग के केन्द्र, इस्लाही कमेटियों, शरई पंचायतों और दारुल-क़ज़ा का क़ियाम अमल में लाया जाए।

(11) ज़कात और उश्र को जमा करने और ख़र्च करने के इज्तिमाई नज़्म पर मुसलमान आमादा हों। ख़ासतौर से चुनी हुई जगहों या हलक़ों में ज़कात का इज्तिमाई नज़्म क़ायम किया जाए।

(12) जुमा के ख़ुतबों को असरदार बनाने के लिए हलक़ों के स्तर पर ख़ुतबों की तैयारी और मस्जिदों के इमामों तक उनको पहुँचाने का निज़ाम क़ायम किया जाए।

(13) मिसाली इस्लामी बस्तियों का क़ियाम हो।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

1. जमाअत मुसलमानों में दीन के जामे (व्यापक) तसव्वुर को इस तरह आम करेगी कि वे अपने मक़सद (इक़ामते-दीन) और उसके तक़ाज़ों से वाक़िफ़ हो जाएँ। जमाअत की अफ़रादी ताक़त से दस गुना तादाद तक यह जामे पैग़ाम पहुँच जाए।

2. इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात की बुनियाद पर शादी से पहले तालीम-तरबियत के प्रोग्राम इस तरह चलाए जाएँगे कि एक लाख लड़के-लड़कियाँ यह कोर्स मुकम्मल कर लें।

3. मस्जिदों को उनके हक़ीक़ी किरदार अदा करने की ओर इस तरह ध्यान दिलाया जाएगा कि मीक़ात के ख़त्म होने तक ऐसी मस्जिदों की संख्या दो गुनी हो जाए और हर मक़ामी जमाअत में कम-से-कम दो मस्जिदें इस मेयार (स्तर) को पहुँच जाएँ।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

(फ़र्द के लिए)

(1) वाबस्तगाने-जमाअत ज़िम्मेदार की हैसियत से अपने घर को इस्लामी घर बनाएँगे और अपने बाल-बच्चों को इस तरह तैयार करेंगे कि वे

इस्लामी तहरीक से वाबस्ता होकर मुल्क व मिल्लत और इस्लाम के लिए क़ुव्वत का ज़रिआ बन सकें।

(2) हर रुक्न और कारकुन क़ुरआन और सुन्नत से गहरा ताल्लुक़ क़ायम करेगा और महीने में कम-से-कम दो लोगों को क़ुरआन और हदीस के दर्स के हलक़े से जोड़ने की कोशिश करेगा।

(3) हर रुक्न और कारकुन मिल्लत के दस आदमियों से रब्त और ताल्लुक़ क़ायम करेगा और उन्हें क़ुरआन व सुन्नत से जोड़ने और अपनी ज़िन्दगी के मक़सद को हासिल करने की ख़ातिर जिद्दो-जुहद पर उभारने की कोशिश करेगा। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ 1,23,200 मर्द, औरतें 44,200, कुल 1,67,400)

(4) हर रुक्न और कारकुन कोशिश करेगा कि अपने मुहल्ले की मस्जिद के इमाम और इन्तिज़ामिया के ज़िम्मेदारों से रब्त और ताल्लुक़ क़ायम और मज़बूत हो और मौक़े के मुताबिक़ मस्जिद के कामों और मामलों में अपनी ख़िदमत भी पेश करेगा।

(5) हर रुक्न और कारकुन इस्लामी समाज के बनाने के सिलसिले में मुख़्तलिफ़ ज़रिए इख़्तियार करेगा। जैसे : इनफ़िरादी मुलाक़ात, लिट्रेचर की तक़सीम, सोशल मीडिया, लिट्रेचर किट वग़ैरा।

मक़ाम के लिए

(1) मक़ामी जमाअत और मुहल्ले के कारकुनों की सतह पर दर्स और स्टडीज़ सर्किल का एहतिमाम करेंगे।

(2) मक़ामी जमाअतें इस्लाम की पारिवारिक शिक्षाओं की बुनियाद पर तालीम और तरबियत के प्रोग्राम साल में एक बार इस तरह चलाएगी कि हर मक़ामी जमाअत में दो सौ लड़के-लड़कियाँ शादी से पहले यह कोर्स पूरा कर लें। इन प्रोग्रामों का ख़ाका शोबा-ए-इस्लामी मुआशरा फ़राहम करेगा।

(3) हर मक़ामी जमाअत इस बात की कोशिश करेगी कि मुन्तख़ब मस्जिदें, मुसलमानों की तालीम और तरबियत और इज्तिमाई काम

(जैसे : तालीम, अर्थव्यवस्था और सेहत से मुताल्लिक़ काम) को अंजाम देने के मर्कज़ (केन्द्र) बन सकें। कोशिश की जाएगी कि हर मक़ाम कम-से-कम एक मस्जिद और बड़ी जमाअतें दो से ज़्यादा मस्जिदों को इस काम के लिए तय करे।

(4) मक़ामी सतह पर मस्जिदों की इज्तिमाई कमेटियों या मस्जिदों के इमाम हज़रात का ग्रुप बनाया जाएगा और उसके ज़रिए साझा प्रोग्राम तय करके मतलूबा (अपेक्षित) मक़सदों को हासिल करने की कोशिश की जाएगी।

(5) मक़ामी जमाअतें और कारकुन के हलक़े अपने मक़ाम पर दीनी मकातिब (मदरसों) को क़ायम करने की कोशिश करेंगे। क़ायम किए गए मदरसों को संगठित और मज़बूत किया जाएगा।

(6) मक़ामी जमाअतें और कारकुनों के हलक़े नीचे लिखे विषयों के तहत हर साल अलग-अलग सप्ताह या दिवस (यौम) के एहतिमाम की कोशिश करेंगे—

(i) क़ुरआन (ii) नमाज़ (iii) सीरत (जीवनी) और इस्लामी इतिहास (iv) निकाह को आसान करो।

(7) हर मक़ाम 'इस्लाहे-मुआशरा' (समाज-सुधार) के शीर्षक से मीक़ात में दो इज्तिमा आयोजित करेगा, ताकि पश्चिमी कल्चर से मरऊबियत (प्रभावाधीनता), ज़िन्दगी के मक़सद से बेख़बरी और नई नस्ल के दीन से दूरी का दरवाज़ा बन्द हो सके।

(8) हर मक़ाम अपनी सतह पर मिल्लत में इज्तिमाई नज़्म, ज़कात और उश्र का शुऊर (चेतना) पैदा करने के लिए प्रोग्राम आयोजित करेगा।

(9) मक़ामी जमाअतें हज पर जानेवालों के लिए तरबियती इज्तिमाओं के आयोजन की कोशिश करेंगी।

(10) मक़ामी जमाअतें कोशिश करेंगी कि मक़ामी सतह पर मजलिसुल-उलमा-ए-तहरीके-इस्लामी महाराष्ट्र की शाखा क़ायम हो जाए।

(11) हर मक़ामी जमाअत और कारकुनों के हलक़े जमाअती वुफ़ूद

(प्रतिनिधिमण्डल) बनाएँगे और इसके निज़ाम को पुख़्ता और मज़बूत करेंगे।

(12) नीचे लिखी जमाअतें अपने मक़ाम पर मिसाली इस्लामी बस्ती क़ायम करने की कोशिश करेंगी—

(i) चखलवर्धा (ज़िला-ऐवतमहल), (ii) औरंगाबाद, टाइम्स कॉलोनी (शहर औरंगाबाद), (iii) हथरून (ज़िला-अकोला), (iv) पिपलगाँव राजा (ज़िला-बलडाना), (v) फ़ैज़पुर (ज़िला-जलगाँव)।

(13) हर मक़ाम चालू मीक़ात में कम-से-कम एक बार औरतों के लिए 'शरीअ़ा कान्फ्रेंस' आयोजित करेगा।

(14) मक़ामी जमाअतें शरई पंचायत क़ायम करने की कोशिश करेंगी।

(15) जमाअत की पॉलिसी और इसके तक़ाज़ों को पूरा करने के लिए हर मक़ाम नीचे लिखे तरीक़े और ज़रिए इख़्तियार करेगा—

इज्तिमाई मुलाक़ात, लिट्रेचर की तक़सीम, क़ुरआन और हदीस के दर्स, साप्ताहिक और आम इज्तिमा, लाइब्रेरी, ख़िताबाते-आम (सार्वजनिक सभाएँ), ख़ुतबाते-जुमा और ईदैन कॉर्नर मीटिंग, गश्ती लाइब्रेरी वग़ैरा।

(16) अख़बारों में लेख, टी॰वी॰ और रेडियो के प्रसारणों के द्वारा पारिवारिक इस्लामी शिक्षाओं को आम करने की कोशिश की जाएगी।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े में क़ायमशुदा कौंसिलिंग सेन्टरों को और ज़्यादा सरगर्म और बेहतर बनाया जाएगा और 16 नई जगहों पर सेन्टर क़ायम किए जाएँगे।

(2) चुने हुई नई जगहों पर 'मजलिसुल-उलमा-ए-तहरीके-इस्लामी महाराष्ट्र' की शाखाएँ क़ायम की जाएँगी और क़ायमशुदा शाखाओं को मज़बूत किया जाएगा।

(3) हलक़े के चार चुने हुई जगहों पर 'दारुल-क़ज़ा' क़ायम की जाएगी।

(4) हलक़े की तरफ़ से मीक़ात में एक बार ज़िले की सतह पर 'इस्लामी मुआशरे' (इस्लामी समाज) के विषय पर एक दिन का आम इज्तिमा आयोजित किया जाएगा।

(5) मर्कज़ी मुहिम 'रुजू-इलल-क़ुरआन' (लौटो क़ुरआन की तरफ़) का एहतिमाम हलक़े की सतह पर किया जाएगा।

(6) दीनी मदारिस के फ़ारिग़ात के लिए मीक़ात में दो रियासती कैम्पस आयोजित किए जाएँगे।

(7) फ़ारिग़ीने-मदारिसे-अरबिया और मस्जिदों के इमामों के लिए आयोजित होनेवाले मर्कज़ के कैम्पों में हलक़ा-ए-महाराष्ट्र से उलमा और इमामों को रवाना किया जाएगा।

(8) ख़ुतबाते-जुमा को असरदार बनाने के लिए हलक़े की सतह पर ख़ुतबात की तैयारी और मस्जिदों के इमामों तक उनकी पहुँच का निज़ाम क़ायम किया जाएगा।

(9) मुनासिब रिश्तों की रहनुमाई के लिए जहाँ मुमकिन हो, वहाँ रिश्ता और निस्बत से मुताल्लिक़ कैम्पों का आयोजन किया जाएगा।

(10) दीनी मक्तबों के निसाब (पाठ्यक्रम) और उसके तमाम निज़ाम को नए सिरे से तरतीब दिया जाएगा।

(11) इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित समाजी ज़िन्दगी के उभरे हुए पहलू को उजागर करने के लिए वीडियो क्लिप्स और तक़रीरें वग़ैरा तैयार की जाएँगी।

(12) बड़े शहरों—मुम्बई, भिवंडी, कल्याण, मुम्ब्रा, औरंगाबाद, जालना, नान्देड़, परभनी, जलगाँव, अकोला, नागपुर, वग़ैरा में ज़कात देनेवालों और ज़कात देने की उम्मीद जिनसे है, उनकी बैठकों का एहतिमाम किया जाएगा और उन्हें इज्तिमाई निज़ामे-ज़कात की अहमियत से वाक़िफ़ कराया जाएगा।

उम्मत की सुरक्षा और तरक़्क़ी

पॉलिसी

जमाअत मुसलमानों का एतिमाद बहाल करेगी कि वे हर तरह के हालात में अल्लाह के दीन पर जमे रहें। इस्लामी तहज़ीब (संस्कृति) से अपनी वाबस्तगी को पुख़्ता करें। जान और माल की सुरक्षा, शहरी अधिकारों की सुरक्षा और दीनी पहचान को बनाए रखने के लिए मिल-जुलकर कोशिश करें। ज़ुल्म-ज़्यादतियों का जाइज़ तरीक़ों से मुक़ाबला करें। मज़लूमों (पीड़ितों) के साथ खड़े हों और उनकी दादरसी करें। जमाअत की यह भी कोशिश होगी कि इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक़ शिक्षा, मईशत (अर्थव्यवस्था) और जन-स्वास्थ्य के मोर्चों पर मुस्लिम उम्मत तरक़्क़ी करे। इस ओर मुसलमानों को भी इज्तिमाई जिद्दो-जुहद पर आमादा किया जाए।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी—

(1) मुसलमान अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू पर होनेवाले हमलों का दिफ़ाअ (प्रतिरक्षा) करने के लिए संविधान और शरीअत की हदों के अन्दर, तमाम ज़रूरी तदबीरें अपनाएँ और इस सिलसिले में देश के तमाम इनसाफ़पसन्द लोगों का सहयोग हासिल करें।

(2) औक़ाफ़ की सुरक्षा और उनकी आमदनी के सही इस्तेमाल के सिलसिले में हुकूमत और मुतवल्ली (संरक्षक) लोग अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ़ ध्यान दें।

(3) सरकारी मशीनरी की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों के शिकार लोगों को क़ानूनी मदद पहुँचाई जाए। इसके साथ ही आम लोगों को उन क़ानूनी हक़्क़ों से भी अवगत कराया जाए, जो उसूलन प्रत्येक नागरिक को हासिल हैं।

(4) मुसलमानों की आर्थिक उन्नति और मज़बूती के लिए मुनासिब

तदबीरें अपनाई जाएँ।

(5) औक़ाफ़ की हिफ़ाज़त और उसकी मज़बूती के लिए हलक़ों के स्तर पर सेल (प्रकोष्ठ) क़ायम किए जाएँ।

(6) मिल्लत के प्रोफ़ेश्नल्ज़, दानिशवरों, ब्योरोक्रेट्स, क़ानूनदानों, उद्योगपतियों और व्यापारिक संस्थाओं और इदारों से असरदार रब्त हो और मुसलमानों की हिफ़ाज़त और तरक़्क़ी के लिए उनकी ख़िदमतों का हासिल होना मुमकिन हो सके।

(7) हलक़ों में ऐसे ग्रुप बनाए जाएँगे जो मुसलमानों और दूसरे कमज़ोर और मज़लूम और पीड़ित तबक़ों पर अत्याचार के विरुद्ध फ़ौरी तौर पर हरकत में आ सकें और ज़रूरी क़ानूनी, सियासी और समाजी क़दम उठा सकें।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

(1) जमाअत मिल्लते-इस्लामिया के लोगों को आर्थिक दृष्टि से इस तरह मज़बूत करेगी कि प्रत्येक रुक्न एक ज़रूरतमन्द व्यक्ति को रोज़गार से लगा सके।

(2) जमाअत रोज़गार के सिलसिले में रहनुमाई और तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए इस तरह कोशिश करेगी कि हर हलक़े की कम-से-कम 5 प्रतिशत मुक़ामी जमाअतों में इन कामों के लिए फ़लाही इदारे क़ायम हो जाएँ।

(3) जमाअत इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सरकारों की ओर से मुसलमानों के लिए चलाई जा रही रिफ़ाही स्कीमों के लिए ख़ास किए गए बजट का 100 प्रतिशत इस्तेमाल हो।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) हर रुक्न और कारकुन अपनी जान और दुनिया के किसी भी नुक़सान के मुक़ाबले में ईमान और इज़्ज़त-आबरू की हिफ़ाज़त के शुऊर और

यक़ीन को मज़बूत करेगा और मौक़ा आने पर उसका मुज़ाहरा करेगा।

(2) हर रुक्न और कारकुन अपनी जान और माल की हिफ़ाज़त और बुनियादी शहरी हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिए तमाम शरई और क़ानूनी तदबीरों से परिचय हासिल करेगा और ज़रूरत के मुताबिक़ उन्हें इख़्तियार करेगा।

(3) हर रुक्न और कारकुन पश्चिमी और फासीवादी तहज़ीब के असरात (वैलेंटाइन डे, सूर्य नमस्कार और वन्दे मातरम् वग़ैरा) से ख़ुद को और अपने ख़ानदान के लोगों को सुरक्षित रखेगा।

(4) हर रुक्न और कारकुन अपने और ख़ानदान के लोगों की सेहत और जिस्मानी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जुह देगा।

(5) हर रुक्न मीक़ात में कम-से-कम एक बेरोज़गार आदमी को रोज़गार से लगाएगा। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ मर्द 1320, औरतें 420, कुल 1740)

कारकुनान भी इस सिलसिले में भरपूर कोशिश करेंगे।

मक़ाम के लिए

(1) तमाम मक़ामी जमाअतें मिल्लत में ईमान की हिफ़ाज़त और दीनी व तहज़ीबी पहचान को बचाए रखने और शुऊर की बेदारी के लिए तिमाही प्रोग्राम का एहतिमाम करेंगे। अहम शहरों और क़सबों की जमाअतें इस काम के लिए साझा मिल्ली फ़ॉरम्स बनाएँगे।

(2) कोशिश की जाएगी कि हर मक़ाम पर फासीवादी ताक़तों और सरकारी मिशनरी के ज़ुल्म-ज़्यादतियों और ग़ैर-क़ानूनी इक़दामात के शिकार लोगों को तुरन्त क़ानूनी और अख़लाक़ी मदद फ़राहम हो। इस काम के लिए लीगल एक्टिविस्ट तैयार किए जाएँगे।

(3) मीडिया, सोशल सर्विसेस के मज़ामीन और क़ानून में आला तालीम (उच्च शिक्षा) के लिए हलक़े की पचास फ़ीसद मक़ामी जमाअतें कम-से-कम एक-एक तालिबे-इल्म (विद्यार्थी) को मुतवज्जेह करेंगी,

तरबियत, रहनुमाई और मदद फ़राहम करेंगी।

(4) औक़ाफ़ की सुरक्षा और उसकी आमदनी के सही इस्तेमाल के लिए सरकार और मुतवल्लियों को मुतवज्जेह करने के लिए चुनी हुई जगहों पर ख़ुसूसी प्रोग्राम किए जाएँगे।

(5) मक़ामी जमाअतें सेहत और जिस्मानी तरबियत के लिए जिम्नेज़ियम (व्यायामशाला) के एहतिमाम की कोशिश करेंगी।

हलक़े के लिए

(1) मिल्लत की दीन और ईमान और तहज़ीबी पहचान की सुरक्षा के लिए उलमा-ए-किराम और दीनी जमाअतों के साथ एक साझा नीति और प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और उसे मिल्लत में आम किया जाएगा।

(2) मिल्लत और मज़लूम तबक़ों की जान, माल और इज़्ज़त व आबरू पर हमलों के ख़िलाफ़ शरई और क़ानूनी मदद के लिए दस चुने हुए शहरों में मुस्लिम प्रोफ़ेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स, क़ानूनदाँ, उद्योगपतियों पर आधारित साझा फ़ॉरम्स बनाए जाएँगे।

(3) मक़ामी जमाअतें छात्र-छात्राओं के लिए जमाअती और अर्धजमाअती तालीमी इदारों में एन॰सी॰सी॰ की स्थापना और मार्शल आर्ट्स की तरबियत का एहतिमाम करेंगी।

(4) हलक़े में क़ायम शोबा-ए-सनअत और तिजारत (उद्योग-धंधे और व्यापार विभाग) को और ज़्यादा मज़बूत किया जाएगा। साथ ही बीस नई जगहों पर शोबा की शाख़ें क़ायम की जाएँगी।

(5) जमाअत की रियासती ‘शोबा-ए-औक़ाफ़’ को मज़बूत किया जाएगा। औक़ाफ़ की जायदादों की सुरक्षा और उनके सही इस्तेमाल के सन्दर्भ में बेदारी के लिए छोटी-छोटी किताबें और फ़ोल्डर्स छापे जाएँगे।

(6) बेगुनाह लोगों की रिहाई के लिए ख़ुसूसी कार्य-नीति को एपीसीआर की मदद से अमली शक्ल दिया जाएगा।

(7) मिल्लत में ख़ुद हिफ़ाज़ती क़ानून, बुनियादी शहरी हुक़ूक़, पुलिस और

अदालती निज़ाम के बुनियादी क़ानून से परिचित कराने के लिए ए॰पी॰सी॰आर॰ के सहयोग से चुनी हुई मक़ामी जमाअतों में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।

(8) मिल्लत के मसलों पर नुमाइन्दगी के लिए संसद-सदस्यों से राब्ता मज़बूत किया जाएगा और उनका अमली तआवुन (व्यावहारिक सहयोग) किया जाएगा।

हिन्दुस्तानी समाज

पॉलिसी

हिन्दुस्तानी समाज एक मज़हबी और रूहानी समाज है। इसकी सकारात्मक ख़ुसूसियतों और अच्छी मूल्यों को बाक़ी रहना चाहिए। जमाअत मज़हबी रहनुमाओं की मदद से उन ख़राबियों को दूर करने की कोशिश करेगी जो समाज में पैदा हो गई हैं। जैसे, ज़ुल्म-अत्याचार, शोषण, बद-दियानती, धोखा-फ़रेब, ऊँच-नीच और असबियत (पक्षपात), वहमपरस्ती (अंधविश्वास), बेहयाई, नाहक़ क़त्ल, बच्चों का क़त्ल, जहेज़ के लिए मजबूर करना, लड़कियों के हक़ मारना, जुआ, शराब, सूद (ब्याज), फ़ुज़ूलख़र्ची, उपभोगवाद आदि।

जमाअत हिन्दुस्तानी समाज के विभिन्न मज़हबी गरोहों के दरमियान पाई जानेवाली दूरियों, आपसी बिखराव, झगड़े तथा कशमकश के माहौल को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। देशवासियों के दरमियान सेहतमन्द राब्ते क़ायम कराएगी। एक-दूसरे के हक़ व अधिकारों को अदा करने, रवादारी और मानवता के सम्मान पर उभारेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी–

(1) नागरिकों के बीच बेहतर सम्बन्ध के लिए फ़ॉरम्स की स्थापना हो, जैसे सद्भावना मंच, धार्मिक जन-मोर्चा।

(2) सरकार और इन्तिज़ामिया को उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाए कि क़ानून के सम्मान को यक़ीनी बनाए और अम्न व शान्ति बाक़ी रखे।

(3) भलाइयों को फैलाने और बुराइयों की रोकथाम के लिए संगठन और कमेटियों की स्थापना की जाए, जिनमें सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

(4) विभिन्न राज्यों में शराबबन्दी के लिए (ज़मीनी स्तर पर और सोशल

मीडिया के ज़रिए से) अवामी जागरूकता और कौंसिलिंग का काम किया जाए और लोगों को शराब छोड़ने पर उभारा जाए।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

मुख़्तलिफ़ धर्मों के अनुयायियों और वर्गों के बीच दूरियों को ख़त्म करने और ग़लतफ़हमियों को दूर करने का काम इस तरह किया जाएगा कि हर मक़ामी जमाअत में एक बस्ती में पुरअम्न (शान्तिपूर्ण) माहौल क़ायम हो जाए।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) जमाअत का हर फ़र्द हिन्दुस्तानी समाज की सकारात्मक विशेषताओं (मुसबत ख़ुसूसियात) और अच्छी क़द्रों (मूल्यों) को बाक़ी रखने के लिए अपने मुहल्ले, बस्ती, शहर के मज़हबी रहनुमाओं और ख़ैरपसन्द लोगों के साथ मिलकर भलाइयों को फैलाने और बुराइयों को दूर करने के लिए काम करेगा।

(2) जमाअत का हर फ़र्द फ़िरक़ापरस्त और फ़ासीवादी रुझान, ऊँच-नीच, पक्षपात और अंधविश्वास का विरोध करेगा।

(3) जमाअत का हर फ़र्द नीचे लिखी समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए अपना असरदार रोल अदा करेगा—

ज़ुल्म और शोषण, बददियानती (भ्रष्टाचार), धोखा, बेहयाई, नाहक़ क़त्ल, औलाद का क़त्ल, दहेज़ के लिए अत्याचार, लड़कियों की हक़तलफ़ी, जुआ, शराब, सूद, फ़ुज़ूलख़र्ची, उपभोक्ता-वस्तुओं और मोबाइल का अनुचित इस्तेमाल वग़ैरा।

मक़ाम के लिए

(1) शान्तिपूर्ण वातावरण क़ायम करने के लिए हर मक़ामी जमाअत कोशिश करेगी कि मक़ामी सतह पर ‘सद्भावना मंच’ क़ायम हो जाए।

(2) हर मक़ामी जमाअत बस्ती, मुहल्ला, कॉलोनी, अपार्टमेंट वग़ैरा में मिली-जुली कमेटी क़ायम करने के काम को व्यावहारिक रूप देगी।

(3) मक़ामी जमाअतें बेटी का क़त्ल, जुआ, शराब, दहेज़ के लिए अत्याचार, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल जानलेवा बीमारियों और भोजन की कमी जैसे बुनियादी मसलों पर समाजी तंज़ीमों, इदारों और एन॰जी॰ओज़ के साथ मिलकर काम करेंगी। ख़ासकर औरतों और नौजवानों के ज़रिए इन मसलों के हल के लिए प्रभावी क़दम उठाए जाएँगे।

(4) रियासती हुकूमत के तहत बनाए जानेवाले 'आदर्श गाँव' की स्कीम को लागू करने में यथाशक्ति सहयोग किया जाएगा। जमाअत की ख़ुसूसी कोशिश होगी कि उन मिसाली बस्तियों में शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का पूरी तरह ख़ातिमा हो जाए।

हलक़े के लिए

(1) रियासत में शान्तिपूर्ण माहौल के क़ियाम के लिए हलक़े की सतह पर 'सद्भावना मंच' क़ायम किया जाएगा। मक़ामी जमाअतों के सहयोग से इसकी सौ शाखाएँ क़ायम की जाएँगी।

(2) हलक़े की सतह पर 'धार्मिक जनमोर्चा' का क़ियाम अमल में लाया जाएगा और उसे सरगर्म रखने की कोशिश की जाएगी।

(3) हलक़े की सतह पर 'एफ़॰डी॰सी॰ए॰' को मज़बूत किया जाएगा।

(4) 25 चुनी हुई जगहों पर सरकार की तरफ़ से शराब और नशीले पदार्थों के पूरी तरह ख़त्म करके मिसाली बस्तियाँ बनाने की स्कीम में सहयोग किया जाएगा।

(5) रियासत के अहम समाजी मसलों पर तहरीके-इस्लामी का पक्ष (डिस्कोर्स) तरतीब देकर अवामी फ़ॉरम्स में ज़ेरे-बहस लाया जाएगा।

न्याय की स्थापना

पॉलिसी

(क) इस्लामी तालीमात की रौशनी में जमाअत न्याय व इनसाफ़ को क़ायम करने, अम्न व शान्ति बनाए रखने और आम नैतिक मूल्यों के आधार पर देश के सर्वांगीण निर्माण एवं विकास के लिए कोशिश करेगी। जमाअत कोशिश करेगी कि आज़ाद संस्थाओं की स्वाधीनता सुरक्षित रहे। हिन्दुस्तानी संविधान के मानवीय मूल्य और फ़िक्र व अमल की आज़ादी बाक़ी रहें और शहरी अधिकारों का सम्मान हो। क़ानून तोड़ने के रुझान के ख़िलाफ़ जमाअत आवाज़ उठाएगी और क़ानून के आदर की तरफ़ ध्यान दिलाएगी। जमाअत देश की राजनीति में उच्च मूल्यों को बढ़ावा देने एवं कमज़ोर समुदायों और वंचितों की दादरसी की कोशिश करेगी।

इसके अलावा जमाअत अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद, पूँजीवादी व्यवस्था और आक्रामक राष्ट्रवाद के चंगुल से देश को बचाने के लिए सभी ख़ैरपसन्द लोगों का सहयोग हासिल करेगी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जमाअत सियासी, मआशी और तहज़ीबी उपनिवेशवाद से आज़ादी, ज़ुल्म और ज़्यादती से निजात, मानवाधिकारों का सम्मान, अद्ल व इनसाफ़ और विश्व-शान्ति की स्थापना का समर्थन करेगी। इस्लामी दुनिया में अवामी उमंगों की तर्जुमान वे तहरीकें जो इस्लामी ख़ुतूत पर समाज के निर्माण का काम कर रही हैं, जमाअत उनका समर्थन करेगी और उनपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करेगी। जमाअत इस्लामी दुनिया को मसलकी व गरोही बिखराव और साम्राज्यवादी शक्तियों की साज़िशों से बचाने का भरसक प्रयास करेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

(क)

(1) जमाअते-इस्लामी हिन्द इस बात की कोशिश करेगी कि देश के तमाम बाशिन्दे मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जिसका दारोमदार नैतिक-मूल्यों पर हो, जहाँ अद्‌ल व इनसाफ़ आम हो और जहाँ अनुचित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव मिट जाएँ। इसके लिए जमाअत इस्लाम की रहनुमाई फ़राहम करेगी।

(2) फ़िरक़ापरस्ती और फासीवाद को रोकने के लिए जमाअत हर स्तर पर भरपूर कोशिश करेगी। साथ ही जम्हूरी क़दरों (लोकतांत्रिक मूल्यों) को बढ़ावा देने के लिए और देश की मुख़्तलिफ़ तहज़ीबी इकाइयों के साथ अद्‌ल व इनसाफ़ के लिए आम राय तैयार करेगी और इस सिलसिले में क़ानून बनानेवाले इदारों के चुनावों में सही ख़ुतूत पर असरअन्दाज़ होने की कोशिश करेगी।

(3) जमाअत हिंसा और क़ानून तोड़ने के बढ़ते हुए रुझानों और लाक़ानूनियत की रोकथाम के सिलसिले में हुकूमत की लापरवाही और अपनी ज़िम्मेदारियों से ग़फ़लत की निन्दा करेगी। क़ानून के सम्मान की ज़रूरत और प्रशासन में संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी के एहसास की अहमियत को उजागर करेगी।

(4) जमाअत देश की विदेश नीति पर उपनिवेशवादी ताक़तों के बढ़ते हुए प्रभावों और आक्रामक हुकूमतों से निकटता का विरोध करेगी और आज़ाद और न्यायसंगत रवैया इख़्तियार करने की तरफ़ ध्यान दिलाएगी।

(5) जमाअत मौजूदा सियासी, आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों का न्यायसंगत विकल्प पेश करेगी और पूँजीवादी शोषण को नकारेगी।

(6) औरतों पर होनेवाले अत्याचारों और भ्रूण-हत्याओं के ख़िलाफ़ जमाअत जनमत तैयार करेगी।

(7) जमाअत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी और इस सच्चाई को वाज़ेह करेगी कि ख़ुदा का तसव्वुर, आख़िरत की जवाबदेही का एहसास और एहतिसाब की प्रभावशाली व्यवस्था के बिना इस मसले से निजात सम्भव नहीं।

(ख)

(1) साम्राज्यवादी शक्तियों की ओर से आज़ाद देशों पर दमनकारी कार्रवाई और वहाँ अपना वर्चस्व क़ायम करने की कोशिश, हक़ की माँग करनेवाले अवाम पर ज़ुल्म व सितम और उनके ख़िलाफ़ जारी तशद्दुद का जमाअत निन्दा करेगी।

(2) जमाअत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का समर्थन जारी रखेगी, फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी की ताईद करेगी और फ़लस्तीनी अवाम पर जारी अत्याचारों की निन्दा करेगी।

(3) मुस्लिम देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, मानव-अधिकारों की सुरक्षा और समाज को इस्लामी उसूलों पर क़ायम करने के लिए जो तहरीकें काम कर रही हैं, जमाअत उनका समर्थन करेगी।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

(1) जमाअत हर हलक़े में 100 प्रतिशत मुसलमान और 5 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को विभिन्न मामलों एवं मुद्दों के सिलसिले में इस्लामी मौक़िफ़ (पक्ष) से अवगत कराएगी।

(2) जमाअत इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी मआशियात (अर्थव्यवस्था) के हक़ में पॉलिसी बनानेवाले इदारों में और अवामी स्तर पर आम राय इस हद तक हमवार करेगी कि इसके नतीजे में इस्लामी बैंक क़ायम किए जा सकें, ग़ैर-सूदी खाते खोले जा सकें और इस्लामी मालियाती मुतबादिल Products राइज हो जाएँ।

(3) इस बात को यक़ीनी बनाया जाएगा कि मानवाधिकार की रक्षा और क़ानूनी मदद और रहनुमाई के लिए हर राज्य में एक इदारा क़ायम हो जाए।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) जमाअत का हर फ़र्द इनसानी क़द्रों (मूल्यों) और फ़िक्र व अमल की आज़ादी बाक़ी रखने के लिए कोशिश करता रहेगा।

(2) जमाअत से जुड़े लोग क़ानून भंग करने के रुझान के ख़िलाफ़ आम राय बनाने और क़ानून के एहतिराम की तरफ़ तवज्जुह दिलाएँगे।

(3) जमाअत का हर फ़र्द अपने कामों को रिश्वत दिए बग़ैर कराने की भरसक कोशिश करेगा और हर तरह के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा।

(4) जमाअत का हर फ़र्द माहौलयाती बुहरान (पर्यावरण संकट) पर क़ाबू पाने के लिए इस्लामी शिक्षाओं को हल के तौर पर पेश करेगा और साल तक दरख़्त लगाकर उसकी सिंचाई और देखभाल करेगा। साथ ही एक पौधा किसी को तोहफ़े में देगा।

मक़ाम के लिए

(1) मक़ामी जमाअतें कोशिश करेंगी कि इस्लाम के इनसाफ़ और न्याय के तसव्वुर (धारणा) की समझ आम हो।

(2) हर मक़ामी जमाअत शत-प्रतिशत मुस्लिम और पाँच प्रतिशत वतन के सहाफ़ियों (पत्रकारों) और दानिश्वरों (विद्वानों) को मुख़्तलिफ़ कामों और मसलों के सिलसिले में इस्लामी मौक़िफ़ (पक्ष) से परिचित कराएगी।

(3) हर मक़ामी जमाअत अपने तौर पर बल्दियाती इदारों (नगरपालिका से ताल्लुक़ रखनेवाली संस्थाओं) की मदद से वृक्षारोपण और उसकी देखभाल करेगी।

(4) जहाँ मुमकिन हो, वहाँ बिना सूदी सोसाइटी क़ायम करने की कोशिश की जाएगी और क़ायम की हुई सोसाइटी को मज़बूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

(5) हर मक़ामी जमाअत सियासी, समाजी और इन्तिज़ामिया से ताल्लुक़ रखनेवाली शख़्सियतों, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस, साथ ही समाजी तंज़ीमों, इदारों और कल्याणकारी काम करनेवाली संस्थाओं (एन॰जी॰ओ॰ आदि) से बामक़सद रब्त रखेगी।

(6) हर जमाअत 15 मई को फ़लस्तीन की हिमायत और ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेनेवाला इसराईली रियासत की मुख़ालफ़त में यौमे-निकबा (मातम-दिवस) का एहतिमाम करेगी।

(7) मक़ामी जमाअतें हर साल 'यौमे-ख़्वातीन' (महिला-दिवस) का एहतिमाम करेंगी। इस सिलसिले में पहले साल 'घरेलू हिंसा', दूसरे साल 'दुख़्तरकसी' (भ्रूण-हत्या), तीसरे साल 'दहेज और हंडा' और चौथे साल 'उरयानियत और फ़ैशनपरस्ती' को दूर करने के सिलसिले में वतन की बहनों की मदद और शिरकत से मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगी।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े में क़ायम 'शोबा-ए-मीडिया' को मज़बूत और मुस्तहकम बनाया जाएगा और इसके ज़रिए शत-प्रतिशत मुसलमान और पाँच प्रतिशत वतनी सहाफ़ियों (पत्रकारों) और दानिश्वरों को मुख़्तलिफ़ कामों और मसलों के सिलसिले में इस्लामी दृष्टिकोण से परिचित कराया जाएगा।

(2) हलक़े की सतह पर उपयुक्त तथा योग्य लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो राजनेता और सरकार चलानेवाले लोग (ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के आदमी वग़ैरा समेत) और मुख़्तलिफ़ तंज़ीमों, इदारों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से लगातार बामक़सद सम्पर्क (रब्त) रखेगा।

(3) तालीमी, समाजी, सियासी, मआशी (आर्थिक) और हुकूमत पॉलिसी और उसके लागू करने के लिए हलक़ा एक मॉनिट्रिंग कमेटी क़ायम करेगी।

(4) पर्यावरण-संकट पर क़ाबू पाने के सिलसिले में इस्लामी तालीमात को हल के तौर पर पेश किया जाएगा। हर साल पाँच जून को पूरे राज्य

में 'यौमे-माहौलियात' (पर्यावरण-दिवस) का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में दूसरे एन॰जी॰ओ॰ के साथ साझेदारी और सहयोग भी किया जाएगा।

(5) हलक़े की सतह पर न्यूज़ पोर्टल बनाया जाएगा और हमख़याल पोर्टल्स की मदद की जाएगी।

(6) हलक़े की सतह पर इनसाफ़ और अद्ल से मुताल्लिक़ चुने हुए विषय पर एक मुहिम चलाई जाएगी।

(7) पुलिस महकमों में सुधार के लिए काम कर रही ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से साझेदारी और सहयोग के ज़रिए से सुधार की कोशिश की जाएगी।

(8) हलक़े की सतह पर समाजी मसलों की पहचान और हल के सिलसिले में रहनुमाई के लिए चुने हुए अरकान पर आधारित ऑरिएंटेशन कैम्प रखा जाएगा।

(9) जमाअत, इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी माशियात (अर्थव्यवस्था) के हक़ में पॉलिसी बनानेवाले इदारों में अवामी सतह पर आम राय इस हद तक बनाएगी कि उसके नतीजे में इस्लामी बैंक क़ायम किए जा सकें, ग़ैर-सूदी खाते खोले जा सकें और इस्लामी मालयाती मुतबादिल (धन-सम्बन्धी विकल्प) प्रोडक्ट्स (उत्पाद) रिवाज पर जाएँ। इस सिलसिले में हलक़ा-ए-महाराष्ट्र में क़ायम 'शोबा-ए-माइक्रो फ़ाइनेंस' को बढ़ाया और मज़बूत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हलक़ा-ए-महाराष्ट्र में मीक़ात के ख़त्म होने तक कम-से-कम 50 जगहों पर बाज़ाब्ता माइक्रोफ़ाइनांस—बिना सूदी सोसाइटी क़ायम हो जाएँ। हलक़ा के बड़े शहरों में इस्लामी बैंकिंग पर लेक्चर सीरीज़ का एहतिमाम किया जाएगा।

(10) भ्रष्टाचार और करप्शन की समस्या के समाधान के सिलसिले में आर॰टी॰आई॰ एक्टिविस्ट तैयार करने की कोशिश की जाएगी।

(11) दूसरे एन॰जी॰ओ॰ (ग़ैर-सरकारी संस्थाओं) के ताल्लुक़ से किसानों के मसले हल करने और उन्हें सूद से निजात दिलाने की भरसक कोशिश

की जाएगी।

(12) जमाअत की इलेक्शन पॉलिसी के तहत जहाँ मुमकिन हो वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा।

(13) ग्राम-सभा और पंचायत-राज के बारे में वाबस्तगाने-जमाअत और समाज से चुने हुए लोगों को बेदार किया जाएगा। एक्टिविज़्म के ज़रिए सरकारी कारकर्दगी में सफ़्फ़ाफ़ियत (पारदर्शिता) लाने की कोशिश की जाएगी।

(14) हर साल हलक़े की सतह पर 'यौमे-ख़्वातीन' का एहतिमाम किया जाएगा।

(15) आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत और उसकी मुकम्मल आज़ादी, फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मज़ालिम (अत्याचार-उत्पीड़न) के ख़िलाफ़ ज़रूरत के मुताबिक़ प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे। मैट्रो सिरीज़ में फ़लस्तीन के मसले से मुताल्लिक़ प्रदर्शन का एहतिमाम किया जाएगा।

(16) मुस्लिम देशों में जम्हूरी क़द्रों (लोकतांत्रिक मूल्यों) की तरक़्क़ी, मानव-अधिकार की सुरक्षा और समाज को इस्लामी उसूलों पर क़ायम करने के लिए जो तहरीकें चल रही हैं उनकी ताइद के सिलसिले में मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे और मुस्लिम देशों के कौंसिलख़ानों (दूतावासों) से रब्त रखा जाएगा।

ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा)

पॉलिसी

ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा) इस्लामी तालीमात का अहम तक़ाज़ा है। जमाअत ग़रीबी, बीमारी, नाख़्वानदगी (अशिक्षा), जहालत, भुखमरी और बेरोज़गारी के मसले को सुलझाएगी, ताकि ज़रूरतमन्द और महरूम (वंचित) लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कोशिश की जाएगी कि इनफ़िरादी सतह पर भी जमाअत से जुड़े लोग मिल्लत और आम इनसानों में ख़िदमते-ख़ल्क़ का जज़्बा परवान चढ़े और सरकार के वसाइल (संसाधनों) को भी इस मक़सद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख़िदमते-ख़ल्क़ के लिए काम करनेवाले दीगर इदारों (संस्थाओं) से अपने उसूलों के तहत सहयोग और साझा किया जाएगा।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी–

(1) ज़मीनी और आसमानी आफ़तों, महामारी (वबाई अमराज़) और दंगे-फ़सादों से मुतास्सिर लोगों की आबादकारी, माली, तिब्बी (इलाज से सम्बन्धित) और क़ानूनी मदद के लिए जमाअत अपनी कोशिशें मज़हब और मिल्लत का भेदभाव किए बग़ैर जारी रखेगी।

(2) जमाअत से जुड़े लोग अपनी और दूसरी ग़रीब बस्तियों के मक़ामी मसलों को हल करने और वहाँ के अवाम को ज़िन्दगी की बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें फ़राहम करने के लिए कोशिश करते रहेंगे।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

(1) हर हलक़े में 25 प्रतिशत शाखाओं में फ़लाही इदारे क़ायम करके ज़रूरी दस्तावेज़ों (Documents) की तैयारी (मसलन वोटर कार्ड) के सिलसिले में शहरियों की इस तरह रहनुमाई और मदद की जाएगी कि

उस मक़ाम के शत-प्रतिशत शहरियों की अहम दस्तावेज़ें तैयार हो जाएँ (बड़े शहरों में यह हदफ़ मुंतख़ब मुहल्लों में हासिल किया जाएगा)।

(2) जमाअत ख़ैरपसन्द अफ़राद (लोगों), इदारों और लोकल बोडीज़ के सहयोग से ख़िदमते-ख़ल्क़ का काम इस दर्जा तक करेगी कि हर तंज़ीमी हलक़े का 25 प्रतिशत शाखाओं में कम-से-कम एक पिछड़े मुहल्ले में तालीम, प्राइमरी हेल्थ (सेहत), सफ़ाई और माइक्रो फ़ाइनांस (फ़राहमी मालियात) से मुताल्लिक़ सहूलियतें मुहैया हो जाएँ।

(3) रोज़गार फ़राहम करने की कोशिश पर इस तरह तवज्जुह दी जाएगी कि कम-से-कम दस हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाए।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) जमाअत का हर फ़र्द मरीज़ों, माज़ूरों, हाजतमन्दों, यतीमों, बेवाओं को सहारा देने और मुसीबतज़दा अफ़राद और मज़लूमों को मज़हब और मिल्लत के भेदभाव के बिना भरसक मदद पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेगा।

(2) जमाअत का हर फ़र्द अपनी बस्ती और मुहल्ले के मसलों को हल करने के लिए कोशिश करता रहेगा।

मक़ाम के लिए

(1) मक़ामी जमाअतें ग़रीब और ज़रूरतमन्द लोगों और तलाक़शुदा और बेसहारा ख़्वातीन की मदद, मरीज़ों के इलाज, रोज़गार की फ़राहमी, क़ैदियों और उनके मुताल्लक़ीन की ख़बरगीरी और तलबा (छात्रों) के लिए स्कॉलरशिप का भरसक इन्तिज़ाम करेगी।

(2) जिन सरकारी दवाख़ानों और स्कूलों में ज़रूरी सहूलियातों में कमी हो रही हो, वहाँ जमाअत की तरफ़ से नुमाइन्दगी करके ज़रूरी सहूलियतें फ़राहम कराने की जिद्दो-जुहद की जाएगी।

दूसरी सूरत में अवाम की भलाई करनेवाले इदारों और तंज़ीमों के सहयोग से सहूलियतें फ़राहम की जाएँगी।

(3) कॉप्रेटिव, क्रेडिट सोसाइटियों के ज़रिए से ख़ुद रोज़गार फ़राहमी में सहयोग किया जाएगा। दूसरे बड़े शहरों में जॉब चेम्बर्स क़ायम करने की कोशिशें की जाएँगी। साथ ही, रोज़गार फ़राहमी से मुताल्लिक़ जॉब फेयर का एहतिमाम भी किया जाएगा।

(4) ज़रूरत के मुताबिक़ ग़रीब और ज़रूरतमन्द मरीज़ों की सहूलियत के लिए चैरीटेबल डिस्पेंसरी और डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स क़ायम किए जाएँगे।

(5) मक़ामी सतह पर मीक़ात के दौरान ख़ास बीमारियों (औरतों की बीमारी, बच्चों की बीमारी और दूसरी जान-लेवा बीमारियों) के उनवान (शीर्षक) से कम-से-कम चार मेडिकल कैम्प लगाए जाएँगे और सेहत की सुरक्षा से मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ यौम (दिवसों) का एहतिमाम किया जाएगा।

(6) नशीली चीज़ों के आदी लोगों के लिए मक़ामी सतह पर 'नशा-मुक्ति कैम्प' लगाए जाएँगे।

(7) मक़ामी जमाअतें सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कीमों से अवाम को परिचित करवाएगी और उन स्कीमों से फ़ायदा उठाने के सिलसिले में भरपूर कोशिश करेगी।

(8) मक़ामी सतह पर पेश आनेवाले हादिसों, ज़मीनी और आसमानी आफ़तों, सैलाब (बाढ़), ज़लज़ले (भूकम्प), आगज़नी, भुखमरी और पानी की कमी वग़ैरा के मौक़े पर समय पर राहत पहुँचाने के काम अंजाम देने की कोशिश की जाएगी।

(9) मक़ामी जमाअतें ख़िदमते-ख़ल्क़ (जन-सेवा) की मद में अपने सालाना बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करेगी।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े की नीचे लिखी मक़ामी जमाअतें, ख़ैरपसन्द अफ़राद, इदारों

और लोकल बोडीज़ के सहयोग से ख़िदमते-ख़ल्क़ का काम इस दरजे तक करेंगे कि एक पसमान्दा (पिछड़ा) महल्ले में तालीम, प्राइमरी हेल्थ (सेहत), सफ़ाई और माइक्रो फ़ाइनांस (फ़राहमी मालियात) से मुताल्लिक़ सहूलियतें फ़राहम हो जाएँ : मालवानी, मीरारोड, गोवण्डी, मुम्ब्रा, भिवण्डी, पम्परी चंचूर, लातूर, मालेगाँव, जलगाँव, जानोरी, औरंगाबाद (उत्तर-दक्षिण), जालना, बीड़, अम्बाजोगाई, परभनी, नान्देड़, मलकापुर, बारसीटाकली, हथरून, पोसद, उमरख़ेड़, बलारपुर, नागपुर पश्चिम।

नोट : इनमें से किसी एक मक़ाम को हलक़े की सतह पर चुनकर मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा।

(2) सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कीमों से परिचय और फ़ायदा उठाने और बुनियादी दस्तावेज़ों की तैयारी के सिलसिले में इलाक़ाई सतह पर चुने हुए लोगों की तरबियत के लिए वर्कशॉप आयोजित किए जाएँगे।

(3) हलक़े में क़ायमशुदा कॉप्रेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को मज़बूत और Centralize (केन्द्रित) किया जाएगा। रियासती सतह पर Co-Operative Department of Maharashtra के ज़रिए से डाइरेक्टर्स और स्टाफ़ के लिए दो ट्रेनिंग कैम्प आयोजित किए जाएँगे। कोशिश की जाएगी की नीचे लिखे दस ज़िलों में सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएँ। बीड़, जालना, पूना, थाना, मुम्बई, अहमदनगर, जलगाँव, अंगोली, अकोला, रत्नागिरी।

(4) आई॰आर॰डब्ल्यू॰ (IRW) वॉलेंटियर्स की ख़ुसूसी ट्रेनिंग का एहतिमाम किया जाएगा, ताकि ज़मीनी और आसमानी आफ़तों में रिलीफ़ वर्क के लिए वे तैयार रह सकें। कोशिश की जाएगी कि मीक़ात के अन्त तक मज़हब और मिल्लत के भेदभाव के बिना वॉलेंटियर्स की तादाद 100 हो जाए।

(5) हलक़े में क़ायमशुदा मेडिकल गाइडेंस सेन्टर्स की मज़बूती और तरक़्क़ी पर भरपूर तवज्जोह दी जाएगी और सालाना जाइज़ा लिया जाएगा। साथ ही, माहिरीन के ज़रिए उससे वाबस्ता लोगों की तरबियत की

कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अकोला, नान्देड़ और जलगाँव में मेडिकल गाइडेंस सेन्टर्स क़ायम किए जाएँगे।

(6) मुम्बई और पूना में जेनरिक ड्रग स्टोर्स क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

(7) ज़िले की मुख्य जगहों पर ब्लड डॉनर्स फ़ॉरम्स क़ायम करने की कोशिश की जाएगी साथ ही फ़ॉरम्स को केन्द्रित करने के लिए मोबाइल एप्प बनाया जाएगा।

(8) ग़लत इलज़ामों में गिरफ़्तार नौजवानों के ख़ानदानों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ताक़त-भर कोशिशें जारी रखी जाएँगी।

(9) हलक़े में मक़ामी जमाअतों के सहयोग से 25 चैरिटेबल क्लिनिक्स क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

(10) हर साल मक़ामी जमाअतों के तहत औसतन 25 मकानों की तामीर और मरम्मत के लिए ग़रीब और ज़रूरतमन्द लोगों का सहयोग किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर सरकारी स्कीमों से फ़ायदे उठाने की कोशिश की जाएगी।

(11) जिन जगहों पर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी क़ायम हैं वहाँ Small Scale Industries (SSI) (लघु कुटीर उद्योग) और घरेलू उद्योगों को क़ायम करने की कोशिश की जाएगी। (कल्याणकारी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के सहयोग से।)

(12) हर साल जर्नलिज़्म (पत्रकारिता), लॉ और सोशल सर्विसेस के 30 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। किफ़ालत-प्रोजेक्ट (Educate Child Sponsor System) पूना, नागपुर में जारी किया जाएगा।

इस्लामी फ़िक्र का विकास

पॉलिसी

आधुनिक युग के ग़ालिब फ़िक्री व इल्मी रुझानों का जमाअत समालोचनात्मक जायज़ा लेगी। ज़िन्दगी और कायनात को इस्लामी धारणा की बुनियाद पर इस्लामी फ़िक्र को पैदा करने, विकास एवं प्रस्ताव का एहतिमाम करेगी। इस मक़सद के लिए इल्मी और तहक़ीक़ी कोशिशों को संगठित करेगी और अह्ले-इल्म को इस कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाएगी। जीवन के अनेक विभागों के महत्वपूर्ण विषयों के अतिरिक्त ख़ासतौर पर उन सवालों का जवाब दिया जाएगा जिससे मुल्क व मिल्लत और तहरीक दोचार हैं। देश के अन्दर जो पॉलिसियाँ इख़्तियार की जा रही हैं, जमाअत उनका समालोचनात्मक जायज़ा लेगी और उच्च इल्मी स्तर पर उनका विकल्प उपलब्ध करेगी। इन तहक़ीक़ी कोशिशों के नतीजों को प्रभावकारी लिट्रेचर के रूप में पेश करेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी—

(1) इस्लाम के इल्म व तहक़ीक़ के तसव्वुर का व्यापक परिचय।

(2) मुसलमानों के इल्मी व तहक़ीक़ी संस्थाओं के मेयार की बेहतरी।

(3) देश की यूनिवर्सिटियों के मुसलमान शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलरों की तहक़ीक़ के सिलसिले में रहनुमाई।

(4) दीनी शैक्षणिक संस्थाओं को तहक़ीक़ी सरगर्मियों की तरग़ीब।

(5) राइज तहक़ीक़ के तसव्वुर का आलोचनात्मक अध्ययन।

(6) आम तहक़ीक़ी संस्थाओं से राब्ता और आपसी इस्तिफ़ादा।

(7) राइज पॉलिसियों के विकल्प की तरतीब व पेशकश।

(8) मुसलमानों के तैयार किए हुए तहक़ीक़ी लिट्रेचर का जायज़ा और महत्वपूर्ण तहक़ीक़ तलब विषयों की निशानदेही।

(9) इस्लाम और मुसलमानों के विषय में आम मुहक़्क़िक़ीन की तहक़ीक़ी कोशिशों से तनक़ीदी वाक़फ़ियत।

(10) बड़े हलक़ों, उम्मत के आलिमों (स्कॉलर्स) के सहयोग से रियासत से मुताल्लिक़ महत्वपूर्ण बिन्दुओं (Issues) पर अध्ययन और तहक़ीक़ का काम अंजाम देंगे।

(11) मक़ामी यूनिटों में इल्मी माहौल को बढ़ावा देने के लिए ख़ासतौर से ध्यान दिया जाएगा।

लक्ष्य

(1) सेन्टर फ़ॉर स्टडी एंड रीसर्च और तसनीफ़ी एकेडमी को मज़बूत किया जाएगा।

(2) राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक कामों के विषय में इनसाफ़ के साथ पॉलिसियों के विकल्प पर आधारित लिट्रेचर तैयार किया जाएगा।

(3) आवश्यक तहरीकी लिट्रेचर एवं साहित्य का उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी और अरबी से उर्दू में अनुवाद कराया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद महत्वपूर्ण किताबों का भी उर्दू में अनुवाद कराने पर ध्यान दिया जाएगा।

(4) नए चैलेंजों से मुताल्लिक़ और तहरीकी फ़िक्र और पॉलिसियों की बढ़ोत्तरी के विषय में इल्मी मजलिसों का आयोजन किया जाएगा और दलीलों से पुर लिट्रेचर प्रकाशित किया जाएगा।

(5) इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर बिगाड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए इल्मी स्तर पर क़दम उठाए जाएँगे। जैसे हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस आदि।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) जमाअत का हर फ़र्द अपनी इल्मी और फ़िक्री तरक़्क़ी को निजी मंसूबे में शामिल करेगा।

मक़ाम के लिए

(1) मक़ामी जमाअतें इल्मी फ़ज़ा की तरक़्क़ी के लिए ख़ुसूसी तवज्जुह करेंगी।

(2) मुन्तख़ब जमाअतों में हर छह माह में एक बार स्टडी वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। इसका ख़ाक़ा शोबे की तरफ़ से फ़राहम किया जाएगा।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े में क़ायम Reasearch Academy of Social Science (RASS) की सरगर्मियों को सुसंगठित किया जाएगा। अकादमी की सरगर्मियाँ मर्कज़ी इदारे CSR से आपसी मश्वरे से अंजाम पाएँगी।

(2) तहरीकी ज़रूरत के पेशे-नज़र नीचे लिए विषयों पर रिसर्च किया जाएगा–

(i) महाराष्ट्र में सूदी और बिना सूदी स्कीमों के तहत चलनेवाले इदारों की कारकर्दगी का तक़ाबली (तुलनात्मक) जाइज़ा, (ii) महाराष्ट्र के मुख़्तलिफ़ तबक़ों की सूरते-हाल का जाइज़ा।

(3) मीक़ात के हर साल एक चुने हुए विषय पर रियासती सतह पर दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। मीक़ात के पहले साल 'इदारा-ए-निकाह के सामने मंडराते ख़तरे : असबाब और इलाज' इस मर्कज़ी विषय के तहत यह कॉन्फ्रेंस होगी।

(4) मीक़ात में दो रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस काम के लिए दो रिसर्च स्कॉलर किसी गाइड की रहनुमाई में फ़ील्ड रिसर्च करके

अपनी रिपोर्ट सालाना कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे।

(5) रिसर्च कम्यूनिटी और तहक़ीक़ी इदारों से RASS के परिचय और आपस में फ़ायदा उठाने के लिए हर साल किसी एक मशहूर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। अकादमी इसके मुख्य ख़ुतबों और लेखों को छापने का एहतिमाम करेगी।

(6) अकादमी की वेबसाइट बनाई जाएगी। उसपर कॉन्फ्रेंस के लेख वग़ैरा प्रकाशित किए जाएँगे और विशेषज्ञों (माहिरीन) को रिसर्च पेपर निकालने पर उभारा जाएगा।

(7) रास (RASS) के कामों के जाइज़े के लिए हर साल मजलिसे-आमिला (काम करनेवालों की सभा) की कम-से-कम दो बैठकें होंगी।

शिक्षा

पॉलिसी

जमाअत देश में मौजूद सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी तालीमी-व्यवस्था की इस प्रकार इस्लाह करेगी कि तमाम नागरिकों के लिए शिक्षा का प्राप्त करना सम्भव हो सके, वे मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें, शिक्षा का पाठ्यक्रम उनकी धार्मिक पहचान को चोट न पहुँचाए, सांस्कृतिक इकाइयों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने के अधिकार प्राप्त रहें। पाठ्यक्रम व्यापक अख़लाक़ी मूल्यों के अधीन हों, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की फ़ीस मुनासिब हो, संस्थाओं का वातावरण और माहौल बेईमानी, धोखा, ज़ुल्म-अत्याचार, शोषण और बेहयाई से पाक हो। दुरुस्त मालूमात उपलब्ध कराने और योग्यताओं को बढ़ाने के अतिरिक्त चरित्र संवारने को शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाए।

जमाअत मुसलमानों की शिक्षा पर इस तरह ध्यान देगी कि इनमें शिक्षा आम हो, दीन और शरीअत से वे लोग परिचित हो जाएँ और कायनात के इस्लामी तसव्वुर के तहत समस्त लाभदायक इल्म व कला को वे प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य हेतु मौजूद शैक्षणिक संस्थाओं से फ़ायदा उठाया जाएगा, इनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी और शिक्षा के इस्लामी तसव्वुर पर आधारित नई संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुसलमान छात्र और छात्राओं को मौजूदा प्रणाली के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए इनके इस्लामी शुऊर को जगाया जाएगा।

जमाअत शिक्षा के इस्लामी तसव्वुर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करेगी और शिक्षकों की तरबियत का एहतिमाम करेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगी—

1. मुसलमानों के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थाओं (दीनी मदरसे सहित के पाठ्यक्रम) और निज़ाम को इस्लामी मूल्यों का प्रतीक बनाया जाएगा।
2. सरकारी पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक पॉलिसियों पर नज़र रखी जाए और उन पहलुओं पर ध्यान दिलाया जाए जिनकी इस्लाह मतलूब होगी।
3. सभी नागरिकों के लिए शिक्षा को उपलब्ध कराने की हुकूमती ज़िम्मेदारी की याददेहानी कराई जाती रहे और अमली क़दम उठाने की ओर ध्यान दिलाया जाए।
4. आम लोगों के रायों की तरबियत और मुनासिब क़ानून बनाने के द्वारा कोशिश की जाए कि शिक्षा महँगी न हो और आम लोग उसके ख़र्च को सहन कर सकें।
5. मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता मुहिम का एहतिमाम किया जाए।
6. जमाअत के हम-ख़याल शैक्षणिक संस्थाओं के मेयार की बेहतरी के लिए कोशिश की जाए।
7. सरकार और नेक कामों में भाग लेनेवाले लोगों को मुतवज्जेह किया जाए कि हर बस्ती की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी संख्या में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करें।
8. जमाअत अपनी सक़त के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करे।
9. मुसलमान छात्र और छात्राओं को मौजूदा शिक्षा के निज़ाम के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाए जाएँ, जैसे इस्लामी संगठनों से जुड़ने, दीनी शिक्षा के लिए अलग से इन्तिज़ाम और छुट्टियों के दौरान इस्लामी कोर्सेज़ का एहतिमाम।

10. सामाजिक और इनसानी उलूम में ज़रूरत के अनुसार छात्रों के लिए वज़ीफ़े का एहतिमाम।

लक्ष्य

(1) जमाअत हमख़याल लोगों के सहयोग से सौ नए स्कूल और दो सौ नए वक़्ती धार्मिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करेगी।

(2) जमाअत से मुताल्लिक़ शैक्षणिक संस्थाओं में कम-से-कम एक चौथाई को ग्रेड ए के मेयार की संस्था बनाया जाएगा।

(3) हर मक़ामी जमाअत में मुन्तख़ब बस्तियों या मुहल्लों में बच्चों के शत-प्रतिशत स्कूल में दाख़िले का उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) पढ़ाने के पेशे से जुड़े अरकान और कारकुनान अपने मुताल्लक़ा तालीमी इदारों (शिक्षण-संस्थानों) को अपना 'अहमतरीन तहरीकी मोर्चा' समझेंगे। फ़न्नी व अख़लाक़ी (कलातमक और नैतिक) पहलू से अपनी नुमायाँ पहचान अपने इदारे में क़ायम करेंगे।

(2) तालीमी इदारों की इन्तिज़ामिया से जुड़े अरकान और कारकुनान अपने इदारे को 'इक़दार पर मबनी' (मूल्यों पर आधारित) बनाने की ख़ुसूसी कोशिश करेंगे। उन अख़लाक़ी ख़राबियों से सुरक्षित रहेंगे जो समाज में प्रचलित हैं और मेयारी तालीम की तरक़्क़ी में अपना भरसक हिस्सा अदा करेंगे।

(3) जमाअत के लोग अपने बच्चों की मेयारी तालीम (शिक्षा) पर ख़ुसूसी तवज्जुह देंगे। घर पर बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों से रब्त और बच्चों की कारकर्दगी (Performance) पर नज़र रखने के लिए ख़ुसूसी वक़्त फ़ारिग़ करेंगे। बच्चों के कैरियर को तय करने के लिए कौंसिलिंग भी करवाएँगे।

(4) जमाअत के लोग मुमकिना तौर पर अपने बच्चों में से किसी एक

को क़ानून/मीडिया/सिविल सर्विस/रिसर्च की तरफ़ ले जाने की कोशिश करेंगे। (शर्त यह है कि बच्चों की निजी दिलचस्पी भी उस तरफ़ हो।)

(5) जमाअत के अफ़राद (लोग) तालीमी इदारों में होनेवाली ग़ैर-इस्लामी सरगर्मियों मसलन सूर्य नमस्कार वग़ैरा से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे।

(6) किसी एक ग़रीब/ज़हीन (प्रतिभाशाली) छात्र को Adopt करके उसकी तालीमी रहनुमाई और प्रेरणा देकर आर्थिक सहयोग का काम करेंगे।

मक़ाम के लिए

(1) मेयारी तालीम के लिए एक 'मुजव्वज़ा' सालाना मंसूबा (प्रस्तावित वार्षिक योजना) मक़ाम के मुख़्तलिफ़ स्कूलों को मक़ामी जमाअतें फ़राहम करेंगी (ख़ाका हलक़े से फ़राहम किया जाएगा)। Parents Teachers Association में तहरीकी लोगों को शामिल करके उसके लागू करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।

(2) प्राइमरी स्कूलों के मेयार को बुलन्द करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उन इदारों में हर छात्र पढ़ने-लिखने और तालीम की बुनियादी सलाहियतों से सुसज्जित हो जाएँ। इस सिलसिले में छोटी जमाअतें कम-से-कम एक और बड़ी जमाअतें एक से अधिक स्कूलों का निर्धारण करेगी।

(3) मक़ामी जमाअतें तालीमी तौर पर कमज़ोर छात्रों के लिए ख़ुसूसी फ़ाउंडेशन क्लासेस का हर मुमकिन एहतिमाम करेगी। भाषा और गणित पर ख़ुसूसी तवज्जुह दी जाएगी। इसी तरह प्रतिभाशाली छात्रों की कारकर्दगी को असरदार बनाने के लिए भी ख़ुसूसी क्लासेस का हर मुमकिन एहतिमाम किया जाएगा।

(4) मुख़्तलिफ़ क्लासेस के लिए मौजूद शिक्षकों के अलावा रिटायर्ड शिक्षकों की भी ख़ुसूसी ख़िदमात हासिल की जाएगी।

(5) मुख़्तलिफ़ स्कूलों में सलाहियतों की तरक़्क़ी के लिए हमनिसाबी (पाठ्य-सहयोगी) सरगर्मी को तरक़्क़ी देने की कोशिश की जाएगी। मसलन साइंस क्विज़, इतिहास क्विज़, भूगोल क्विज़, गणित क्विज़, शाहीन डे, वॉल मैगज़ीन, छात्रों की अदबी तख़लीक़ात (साहित्यिक रचनाओं), नुमाइश, बैतबाज़ी (अन्तयाक्षरी), मुबाहसे, मुज़ाकरे, सांस्कृतिक प्रोग्राम वग़ैरा, इस सिलसिले में–

(i) मुमकिन हो तो शहर की सतह पर जमाअत की तरफ़ से एक इंटरस्कूल कॉम्पटीशन का आयोजन किया जाएगा।

(ii) कोशिश की जाएगी कि हर स्कूल में सालाना कम-से-कम पाँच हमनिसाबी सरगर्मियाँ हों।

(6) कोशिश की जाएगी कि मक़ामी या ज़िले की सतह पर शिक्षकों की ट्रेनिंग और रिफ़्रेशर कोर्स कैम्प लगाए जाएँ।

(7) अख़लाक़ियात और दीनियात (नैतिकता और धर्म) पर हलक़े की तरफ़ से प्रस्तावित पाठ्यक्रम (निसाब) स्कूलों में शामिल करने के लिए मक़ामी जमाअतें कोशिश करेंगी।

(8) मक़ामी जमाअतें ज़रूरतमन्द छात्रों को तालीमी वज़ीफ़े और एजुकेशन किट फ़राहम करेंगी। ख़िदमते-ख़ल्क़ के बजट में एक हिस्सा ख़ुसूसी तौर पर उसके लिए रखा जाएगा।

(9) उपर्युक्त तमाम सरगर्मियों को हासिल करने के लिए जमाअत के लोगों के अलावा जमाअत से ग़ैर-वाबस्ता लेकिन शिक्षा प्रिय (तालीम दोस्त) शख़सियतों के सहयोग को भी यक़ीनी बनाया जाएगा।

(10) मक़ामी जमाअतें लाज़िमन मक़ामी तालीमी सेक्रेट्री को बहाल करेंगी।

हलक़े के लिए

(1) हलक़े की सतह पर Education with Quality, Equality of Morality मुहिम का एहतिमाम किया जाएगा।

(2) हलक़े की सतह पर एक मॉनिट्री सेल क़ायम किया जाएगा जिसकी

नीचे लिखी तीन मुख़्तलिफ़ ज़ैली कमेटियाँ होंगी—

(i) निसाब व दर्सियात के मवाद (पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री) पर नज़र रखना (ताकि ग़ैर-अख़लाक़ी और फासीवादी सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल न हो)। (ii) फ़ीस में अनुचित बढ़ोत्तरी पर नज़र रखना, (iii) हुकूमती पॉलिसियों पर नज़र रखना।

(3) चुने हुए शिक्षकों के लिए नीचे लिखे वर्कशॉप लगाए जाएँगे। (हर साल एक वर्कशॉप)—

(i) ओलम्पियाड और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षकों का वर्कशॉप,

(ii) गणित के शिक्षकों का वर्कशॉप,

(iii) साइंस के शिक्षकों का वर्कशॉप,

(iv) हेड-मास्टर और प्रिंसिपल का वर्कशॉप।

(4) कैरियर कौंसिलिंग के सिलसिले में नीचे लिखे काम अंजाम दिए जाएँगे—

(i) चुने हुए शिक्षक को कैरियर कौंसिलर्स की हैसियत से ट्रेनिंग दी जाएगी।

(ii) दो बड़े शहरों में कैरियर कौंसिलिंग सेन्टर्स क़ायम किए जाएँगे।

(iii) ऑन लाइन हेल्पलाइन कौंसिलिंग शुरू की जाएगी।

(5) उर्दू मीडियम स्कूलों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हेडमास्टर्स/इन्तिज़ामिया का वर्कशॉप आयोजित करके एक Comman Standard Program तरतीब दिया जाएगा।

(6) शिक्षकों के लिए फ़न्नी महारत (कलात्मक दक्षता) की तरक़्क़ी के सिलसिले में एक डंदनंस तैयार करके उसे स्कूलों की इन्तिज़ामिया को फ़राहम किया जाएगा।

(7) स्कूल इन्तिज़ामिया में पैदा हो गई बद-उनवानियों (भ्रष्टाचारों), अपारदर्शिता और शिक्षकों के शोषण पर आधारित रवैए पर क़ाबू पाने

के लिए मुनासिब हिकमते-अमली का निर्धारण करके सुधार की कोशिश की जाएगी।

(8) जमाअत के इन्तिज़ाम में चलनेवाले इदारों के बारे में नीचे लिखे काम अंजाम दिए जाएँगे—

(i) कोशिश की जाएगी कि इन्तिज़ामी नुक़्ता-ए-नज़र से Smooth Functioning (सुचारू रूप से कार्यरत) हो। इन्तिज़ामिया और शिक्षकों के बीच मतभेद न हो और गाँव/शहर के सबसे मशहूर इदारों में उनकी गिनती हो।

(ii) किसी एक इदारे को इस्लामी तालीम के तसव्वुर (सोच) से क़रीबतर पेश करने की कोशिश की जाएगी।

(iii) तालीमी इदारों की कम-से-कम 25 प्रतिशत संख्या को ग्रेड ए के मेयार तक तरक़्क़ी दी जाएगी।

(iv) तालीमी ऑडिट को लाज़िम किया जाएगा।

(v) कोशिश की जाएगी कि आइन्दा पाँच साल बाद उन इदारों के पच्चीस छात्र Institute of National Importance में दाख़िला पा सकें।

(vi) तालीमी इदारों के मुआइनाकारों (निरीक्षकों) की 50 आदमियों की एक टीम बनाई जाएगी।

(9) क़ानून/मीडिया/सिविल सर्विस/रिसर्च के चुने हुए छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फ़राहम की जाएगी।

(10) बड़े शहरों में सेमीनार सीरीज़ 'शिक्षा की धारणा का नवनिर्माण'/'शिक्षा बहुमुखी शख़सियत के लिए' शीर्षक से आयोजित करके शिक्षा-प्रेमी हलक़ों में इसे बहस का मौज़ू बनाया जाएगा।

(11) इस बात को यक़ीनी बनाया जाएगा कि सरकार की मुसलमानों के लिए कल्याणकारी और शैक्षिक स्कीमों के लिए तय किए गए बजट का शत-प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल हो।

(12) हमख़याल लोगों के सहयोग से महाराष्ट्र हलक़े में दस नए तालीमी

इदारे क़ायम किए जाएँगे। इनमें से कम-से-कम एक तालीमी इदारा अकसरियतवाले समाज के तक़ाज़ों के पेशे-नज़र बनाया जाएगा।

(13) हलक़े की सतह पर एक वीमेंस कॉलेज क़ायम करने की कोशिशों का आग़ाज़ किया जाएगा।

(14) रियासत की सतह पर हर साल हर पहलू से बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पेश करनेवाले स्कूल को मिसाली स्कूल अवार्ड (अशफ़ाक़ अहमद अवार्ड) से नवाज़ा जाएगा।

(15) जमाअत की तालीमी पॉलिसी को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए हलक़े की सतह पर एक तालीमी बोर्ड क़ायम किया जाएगा।

तज़किया और तरबियत

पॉलिसी

जमाअत अपने अरकान और कारकुनान (सदस्यों और कार्यकर्ताओं) के हमाजेहत (चहुमुखी) तज़किया व तरबियत का एहतिमाम इस तरह करेगी कि अल्लाह तआला से उनका ताल्लुक़ ज़्यादा-से-ज़्यादा मज़बूत हो, उनके अन्दर आख़िरत की फ़िक्र और रसूल (सल्ल॰) की मुहब्बत और फ़रमाँबरदारी का जज़्बा मज़बूत हो, उनकी ज़िन्दगियों में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रियता एवं जोश पैदा हो, समाज के अन्दर उनका किरदार दावत देने, तरबियत करने और रास्ता दिखानेवाले का हो।

इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि वे अपनी फ़ितरी क्षमता और योग्यता को पहचानें, इस तरह अपने व्यक्तित्व को तरक़्क़ी दें कि उनकी कमज़ोरियाँ दूर हों और उनकी क्षमता एवं योग्यताओं में बढ़ोत्तरी हो, क़ुरआन और सुन्नत के अनुसार उनकी ज़ेहनी एवं फ़िक्री तरक़्क़ी हो, उनकी भावनाओं में सन्तुलन हो और इनसानी ताल्लुक़ात में वे अच्छे बरताव का एहतिमाम करें।

जमाअत लोगों की योग्यताओं को बढ़ाने पर ख़ासतौर से ध्यान देगी, ताकि तहरीक के इनसानी सरमाए में बढ़ोत्तरी हो, सामूहिक वातावरण में बेहतरीन इनसानी योग्यताओं से लाभ उठाने के स्वभाव को बढ़ावा मिले। सलाहियतों और योग्यताओं की बढ़ोत्तरी के लिए लोगों की कोशिशों के अतिरिक्त जमाअत सामूहिक एहतिमाम भी करेगी।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत कोशिश करेगी—

• अफ़राद की तरबियत

जमाअत के प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पहली ज़िम्मेदारी यह होगी कि वह अपने तज़किए पर इस तरह ध्यान दे कि उसकी शख़सियत में बढ़ोत्तरी

नुमायाँ हो, ताकि वह घर, समाज और तहरीक के लिए फ़ायदेमन्द और प्रभावकारी हो। इस मक़सद के लिए निम्न बातों का एहतिमाम किया जाएगा–

(1) नमाज़ों में ख़ुशूअ और ख़ुज़ूअ, ज़िक्र व अज़्कार का एहतिमाम, क़ुरआन की पाबन्दी से तिलावत और दुआओं का एहतिमाम, ताकि अल्लाह की निकटता का एहसास मज़बूत हो। जमाअत से जुड़े लोग अपनी तरबियत के लिए इल्म और तक़वा के लिहाज़ से अपने से बेहतर लोगों से फ़ायदा उठाएँगे।

(2) जमाअत में दीनी व रूहानी माहौल को बढ़ाने की ख़ासतौर से कोशिश की जाएगी।

(3) तफ़सीर की किताबों, सीरत, तारीख़, फ़िक़्ह का अध्ययन, जदीद नज़रिए और फ़िक्र से वाक़िफ़ियत के लिए अध्ययन और परीक्षण, फ़िक्री व इल्मी बढ़ोत्तरी पर ध्यान।

(4) ख़ुराक और ज़िन्दगी के तरीक़े (Life Style) व सेहत के नियमों पर ध्यान, बीमारियों के कारणों की रोकथाम, शारीरिक व्यायाम का एहतिमाम, जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाना।

(5) घर का माहौल पुरसुकून और शान्तिमय बनाना, माँ-बाप, घरवालों के साथ अच्छा बरताव करना, बामक़सद ज़िन्दगी गुज़ारने की तरबियत, घरेलू इज्तिमाअ का आयोजन।

(6) रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज के लोगों के साथ अच्छा बरताव।

(7) हलाल रोज़ी, ख़ुदकिफ़ालत और आर्थिक मज़बूती पर ध्यान, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का एहतिमाम।

(8) नकारात्मक जज़्बे जैसे गुस्सा, मायूसी, नकारात्मक सोच पर क़ाबू पाना। सकारात्मक सोच और रवैया अपनाना।

(9) लोगों की ख़िदमत, समाज की भलाई और तहरीक व संगठन की बढ़ोत्तरी के लिए लगातार सरगरमी।

● माहौल की तरबियत

जमाअत के अन्दरूनी माहौल की तरबियत ऐसी की जाएगी—

(1) अल्लाह के लिए आपसी मुहब्बत को बढ़ावा देना हो।

(2) ईसार और क़ुरबानी में एक-दूसरे से आगे बढ़ना हो।

(3) जमाअत के नज़्म की पाबन्दी हो।

(4) नई तवानाइयाँ इस्तेमाल हों और सलाहियतों की क़द्र की जाए।

(5) ज़िम्मेदारियों के अदा करने में फुरती, सलीक़ामन्दी और जवाबदेही के एहसास को याद रखने का एहतिमाम किया जाए।

(6) तनक़ीद में एहतियात हो, हुदूद का पास व लिहाज़ और रिआयत की जाए, ज़बान पर क़ाबू हो, दिलसोज़ी और शफ़क़त के साथ नसीहत और एक-दूसरे को हक़, सब्र और रहमत की वसीयत करने का एहतिमाम किया जाए।

● सलाहियतों को बढ़ाना

सलाहियतों को बढ़ाने के लिए निम्न क़दम उठाए जाएँगे—

(1) लोगों की भारी संख्या को जमाअत की सरगरमियों में शामिल किया जाए।

(2) सलाहियत रखनेवाले लोगों तक जमाअत के पैग़ाम को पहुँचाया जाए।

(3) माहिर लोगों से फ़ायदा उठाने के मौक़े उपलब्ध किए जाएँ।

(4) लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इनफ़िरादी और इज्तिमाई कोशिशें की जाएँ।

अहदाफ़ (लक्ष्य)

जमाअत का प्रत्येक रुक्न और कारकुन इस मीक़ात में निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करेगा—

(1) क़ुरआन मजीद की किसी एक तफ़सीर का मुकम्मल अध्ययन।

(2) अपने तज़किए और तरक़्क़ी के वार्षिक मंसूबे की तैयारी और उसपर अमल करना।

(3) एक नई सलाहियत का पैदा करना।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) हर रुक्न और कारकुन अमीरे-मक़ामी की निगरानी में अपने तज़्किए का मंसूबा तैयार करेगा। तहरीकी ज़रूरतों के पेशे-नज़र अपनी सलाहियतों को पहचानकर उसे लगातार बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसपर अमलदरामद की हर महीने रिपोर्ट देगा।

(2) हर रुक्न और कारकुन पूरी मीक़ात में किसी एक तफ़सीर का मुताला पूरा करेगा। साथ ही क़ुरआन मजीद के आख़िरी पारे को हिफ़्ज़ (याद करने) की भी कोशिश करेगा।

(3) सही तरह तिलावत करने में कमज़ोर साथी एक साल में अपनी कमज़ोरियों को लाज़िमन दूर करेंगे।

(4) जिन साथियों (रफ़ीक़ों) के लिए मुमकिन हो, वे ऑन लाइन क़ुरआन कोर्स ज्वाइन करेंगे।

(5) हर रुक्न और कारकुन पाबन्दी से एहतिसाबी फ़ॉर्म भरेगा।

(6) हर रुक्न और कारकुन अपने घर में फ़ैमिली इज्तिमा करेगा।

मक़ाम के लिए

(1) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम पर तज्वीद क्लास और नाज़िरा-ए-क़ुरआन मजीद का एहतिमाम करेगी।

(2) माहाना इज्तिमाई मुताला-ए-क़ुरआन की नशिस्त का एहतिमाम किया जाएगा।

(3) जहाँ मुमकिन हो मक़ामी जमाअतें अरबी ज़बान सीखने के लिए क्लासेस का एहतिमाम करेंगी।

(4) हर अमीरे-मक़ामी अपने मक़ाम के तमाम अफ़राद की ख़ुसूसी सलाहियतों की फ़ेहरिस्त हलक़े को भेजेगा। साथ ही उनकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करने की कोशिश करेगा।

(5) साल में एक बार मक़ामी सतह पर ख़ुशगवार इस्लामी ख़ानदान कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जो किसी ख़ूबसूरत मक़ाम पर होगा।

(6) हर मक़ाम उसवा-ए-रसूल (सीरत और अख़लाक़) की रौशनी में सेहत की सुरक्षा और व्यायाम के एहतिमाम पर ध्यान दिलाएगा। तरबियती और हफ़्तावार इज्तिमाओं में सेहत की सुरक्षा पर ख़ुसूसी लेक्चर रखे जाएँगे।

(7) हर मक़ाम तत्हीरे-क़ल्ब (दिल की पाकी-सफ़ाई) के सिलसिले में माहाना इज्तिमा का नज़्म करेगा।

हलक़े के लिए

(1) अरकान और चुने हुए कारकुन का उनके निजी मंसूबे की रौशनी में जायज़ा और एहतिसाब के सिलसिले में तज़किया और तरबियत के ज़िम्मेदार मंसूबाबन्द दौरे करेंगे। कोशिश की जाएगी कि इस नौईयत का जायज़ा और एहतिसाब मीक़ात में कम-से-कम दो बार हो।

(2) अमीरे-हलक़ा साल में एक बार अरकाने-शूरा का एहतिसाब लेंगे। इस तरह मीक़ात में चार बार एहतिसाबी नशिस्त होगी।

(3) एक तरबियत एप्प (Tarbiyah App) तैयार किया जाएगा, जो जायज़ा और एहतिसाब में मददगार और सहायक होगा।

(4) ख़ास सलाहियतों के अरकान और कारकुनों की तरबियत के लिए माहौल साज़गार (अनुकूल) बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, मर्कज़ के शोबे HRD की तरफ़ से जारी इंस्टीट्यूट में शिरकत करवाई जाएगी।

(5) मीक़ात में दो बार पाँच दिन का वर्कशॉप 'फ़ी ज़िलालिल-क़ुरआन' (क़ुरआन की छाँव में) आयोजित किया जाएगा। वर्कशॉप के बाद शामिल होनेवालों को ऑन लाइन क़ुरआन कोर्स से जोड़ा जाएगा।

(6) हलक़े की सतह पर 100 चुने हुए लोगों की इस तरह तरबियत की जाएगी कि मीक़ात के आख़िर तक उनमें मनचाही सलाहियतें परवान

चढ़ें और वे एक दाई, मुरब्बी और रहनुमा का रोल अदा कर सकें।

(7) हलक़े की सतह पर ज़िम्मेदारों के लिए सालाना तज़किया कैम्प आयोजित किया जाएगा।

(8) पूरी मीक़ात में बारह तरबियतगाहें (प्रशिक्षण-शिविर) आयोजित की जाएँगी। हर तरबियतगाह 50 लोगों पर आधारित होगी। मीक़ात के आख़िर तक 600 लोगों को तरबियतगाह से गुज़ारा जाएगा। एतिक़ाफ़ी तरबियत तरबियतगाह का ही हिस्सा होगी।

(9) हलक़े की सतह पर वाबस्तगाने-जमाअत के लिए जाब्ता-ए-अख़लाक़ बनाया जाएगा, जिसमें ख़ासतौर पर शादी-ब्याह और विरासत वग़ैरा के शरई कामों की अंज़ामदेही पर मुतवज्जेह रखा जाएगा। साथ ही, मिल्लत को भी इसके लिए आमादा किया जाएगा।

तंज़ीम (संगठन)

पॉलिसी

जमाअत अपने संगठन के विस्तार और उसकी स्थिरता के लिए कोशिश करेगी, ताकि हर मोर्चे की तरक़्क़ी यक़ीनी हो और देश के हर इलाक़े की ओर ध्यान दिया जा सके।

जमाअत अपनी तंज़ीम (संगठन) पर इस तरह ध्यान देगी कि उसका इज्तिमाई माहौल, आपसी विचार-विमर्श मारूफ़ यानी भले कामों में अमीर की पैरवी और इज़्हारे-ख़याल के इस्लामी आदाब का आईनादार हो। नई क़ुव्वतों और सलाहियतों के परवान चढ़ने और अमल में लाने के लिए माहौल अनुकूल हो। और जमाअत से जुड़े तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ भली-भाँति अंजाम दें। जमाअत का तंज़ीमी ढाँचा तहरीक के उद्देश्यों को पूरा करे और बेहतर मंसूबाबन्दी, प्रभावशाली ढंग से उसे लागू करने, बेलाग जायज़ा व एहतिसाब का एहतिमाम इस तरह हो कि जमाअत का अन्दरूनी माहौल आपसी हमदर्दी का प्रतीक और जमाअत से जुड़े लोगों की इज्तिमाई कैफ़ियत सीसा पिलाई हुई दीवार के समान हो।

पॉलिसी के तक़ाज़े

जमाअत की कोशिश होगी—

(1) मुख़्तलिफ़ स्तरों के ज़िम्मेदार अपनी तयशुदा ज़िम्मेदारियों से बाख़बर हों, उनके तक़ाज़ों पर अमल कर रहे हों, और मातहत लोगों के साथ शफ़क़त और मुहब्बत का रवैया अपनाएँ।

(2) तहरीक से वाबस्ता लोगों में नस्बुल-ऐन पर पूरा यक़ीन और इसके साथ गहरी वाबस्तगी पैदा हो और उनमें फ़िक्री पुख़्तगी पैदा हो।

(3) तहरीक से जुड़े लोगों में इज्तिमाइयत की अहमियत का शुऊर, इज्तिमाई फ़ैसलों के एहतिराम का जज़्बा और सुनने और अमल करने को अपने ऊपर लाज़िम कर लेने का जज़्बा पैदा हो और

जमाअत के अन्दर शूराई मिज़ाज पुख़्ता हो और इज़हारे-ख़याल व तनक़ीद के इस्लामी आदाब को सामने रखा जाए।

(4) एतिसाब का असरदार निज़ाम बनाया जाए।

(5) छात्र-छात्राओं और नौजवानों की तंज़ीमों से जुड़े लोग तहरीक के लिए फ़ायदेमन्द बनें।

(6) ज़िम्मेदारों की तरफ़ से जमाअत के लोगों और उसकी तंज़ीमी इकाइयों के इस्लाह के क़ाबिल पहलुओं पर बिना देर किए तवज्जुह दी जाए। अन्दरूनी इस्तिहकाम के लिए मुनासिब तदबीरें अपनाई जाएँ और ज़रूरत के मुताबिक़ ततहीर का एहतिमाम हो।

लक्ष्य

(1) तंज़ीम की मज़बूती पर इस तरह तवज्जुह दी जाएगी कि तमाम जमाअतें हलक़े की शूरा के इत्मीनान की हद तक सीसा पिलाई हुई दीवार का नमूना बन जाएँ।

(2) नौजवान लड़के और लड़कियों पर इस तरह ध्यान दिया जाएगा कि प्रत्येक स्थानीय जमाअत के अरकान और कारकुनों में नौजवानों का तनासुब दोगुना हो जाए।

(3) हर हलक़े में अरकान की मौजूदा तादाद के अनुपात से हर साल 10 प्रतिशत नए लोगों को रुकनियत के स्तर तक लाया जाएगा।

(4) 50 नए ज़िलों में काम शुरू किया जाएगा।

हलक़ा-ए-महाराष्ट्र का प्रोग्राम

फ़र्द के लिए

(1) हर रुक्न और कारकुन मक़ामी ज़िम्मेदार की रहनुमाई में जमाअती सरगर्मियों के लिए हर दिन कुछ तयशुदा वक़्त निकालेगा।

(2) हर रुक्न और कारकुन हर साल कम-से-कम एक कारकुन बनाएगा।

(3) हर रुक्न और कारकुन अपने ख़ानदान के अफ़राद (लोगों) और उनसे

जुड़े लोगों को जमाअत, हलक़ा-ए-ख़्वातीन, GIO, SIO, यूथविंग और चिल्ड्रेन सर्किल से वाबस्ता करने की कोशिश करेगा।

(4) अरकाने-जमाअत मीक़ात में दस्तूरे-जमाअत और रूदादे-जमाअत को नए सिरे से पढ़ने की कोशिश करेंगे।

मक़ाम के लिए

(1) हर मक़ामी जमाअत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वह 'सीसा पिलाई हुई दीवार' का नमूना बन जाए।

(2) हर जमाअत में लाज़िमन नीचे लिखे इज्तिमा का एहतिमाम होगा— (i) एहतिसाबी (ii) तरबियती (iii) तंज़ीमी (iv) दावत

(3) हर मक़ामी जमाअत अपने अरकान के मौजूदा औसत से हर साल दस प्रतिशत नए अफ़राद (लोगों) को रुक्नियत के मेयार तक लाएगी। इस सिलसिले में वह चुने हुए कारकुनों के लिए ख़ुसूसी कैम्प का आयोजन करेगी।

(4) मक़ामी जमाअतें नौजवान लड़कों और लड़कियों पर इस तरह तवज्जुह देंगी कि मक़ामी अरकान और कारकुनान में नौजवानों का औसत दोगुना हो जाए।

(5) हर मक़ामी जमाअत GIO, SIO और यूथविंग से रिटायर्ड नौजवान लड़कों और लड़कियों को जमाअत में शामिल करने की कोशिश करेगी।

(6) हर मक़ामी जमाअत कारकुनान की मौजूदा तादाद में हर साल 20 प्रतिशत का इज़ाफ़ा करेगी।

(7) हर मक़ामी जमाअत अपने मक़ाम की हदों में जिन इलाक़ों और मुहल्लों में जमाअत का परिचय नहीं हो सका, वहाँ परिचय और सरगर्मियों पर तवज्जुह देगी।

(8) मक़ामी जमाअतें लाज़िमन चिल्ड्रेन सर्किल क़ायम करेंगी। बच्चों और बच्चियों के सर्किल्स अलग-अलग होंगे। बच्चों के सर्किल के इंचार्ज

मर्द हज़रात और बच्चियों के सर्किल की इंचार्ज ख़्वातीन मुक़र्रर की जाएँगी।

(9) हर मक़ामी जमाअत नौजवानों में काम पर ख़ुसूसी तवज्जुह देगी और यूथविंग क़ायम करेगी। जहाँ क़ायम है, वहाँ उसे मज़बूत किया जाएगा।

(10) हर मक़ाम पर लाज़िमन GIO क़ायम किया जाएगा। जहाँ क़ायम है, वहाँ उसे और ज़्यादा मज़बूत किया जाएगा।

(11) मक़ामी जमाअतें अपने मक़ाम पर 'हलक़ा-ए-ख़्वातीन' लाज़िमन क़ायम करेंगी। जहाँ क़ायम है, उसे मज़बूत किया जाएगा।

(12) मक़ामी जमाअतें अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हर साल 'यौमे-जायज़ा' का एहतिमाम करेंगी। कोशिश की जाएगी कि यह जायज़ा मौक़ा के मुताबिक़ हलक़े की मजलिसे-शूरा के किसी रुक्न की निगरानी में हो।

हलक़े के लिए

(1) तंज़ीम की मज़बूती पर इस तरह तवज्जुह दी जाए कि तमाम जमाअतें हलक़े के शूरा के इत्मीनान की हद तक 'सीसा पिलाई हुई दीवार' का नमूना बन जाएँ। इस सिलसिले में मर्कज़ की हिदायत और ख़ाका के मुताबिक़ कार्य-नीति तैयार की जाएगी।

(2) जमाअत के लोग और तंज़ीमी इकाइयों के इस्लाह के क़ाबिल पहलुओं पर देर किए बिना तवज्जुह दी जाएगी। दाख़िली (आंतरिक) मज़बूती के लिए मौक़े के मुताबिक़ उपाय किए जाएँगे और ज़रूरत के मुताबिक़ ततहीर (दिल की पाकी और सफ़ाई) का भी एहतिमाम किया जाएगा। इन कामों को अंजाम देने के सिलसिले में एक कमेटी बनाई जाएगी।

(3) हलक़े में अरकान की मौजूदा तादाद के अनुपात से हर साल दस प्रतिशत नए अफ़राद (लोगों) को रुक्नियत के मेयार तक लाया

जाएगा। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ मर्द 528, ख़्वातीन 168 कुल 696) इस सिलसिले में इलाक़ाई सतह पर चुने हुए कारकुनों के कम-से-कम दो-दो ख़ुसूसी कैम्प लगाए जाएँगे। इस तरह ज़िला की सतह पर भी ज़रूरत के मुताबिक़ इसका एहतिमाम होगा।

(4) नौजवान लड़कों और लड़कियों (जिनकी उम्र 35 साल से कम हैं) पर इस तरह तवज्जुह दी जाएगी कि हलक़े के अरकान और कानकुनों की तादाद में नौजवानों का औसत दो गुना हो जाए।

(5) कारकुनों की मौजूदा तादाद में हर साल बीस प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया जाएगा। इस सिलसिले में एक 15 दिन की एक ख़ुसूसी मुहिम का एहतिमाम किया जाएगा। (हलक़े का मीक़ाती हदफ़ मर्द 8800, ख़्वातीन 3200, कुल 12000)।

(6) 'चिल्ड्रेन सर्किल' को मज़बूत और मुस्तहकम करने के लिए हलक़े की सतह पर एक शोबा क़ायम किया जाएगा। मर्कज़ी ख़ाके के मुताबिक़ रणनीति बनाई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जारी मीक़ात में दूसरे और चौथे साल ज़िले की सतह पर चिल्ड्रेन फ़ेस्टिवल का एहतिमाम हो। साथ ही उनके मक़ामी इंचार्ज (मर्द और ख़्वातीन) का तरबियती कैम्प भी लगाया जाए।

(7) एस॰आई॰ओ॰ के विस्तार और मज़बूत करने पर तवज्जुह दी जाएगी। इस सिलसिले में हलक़े की सतह पर ख़ास तौर पर अमीरे-हलक़ा के नुमाइन्दे के तौर पर एक का निर्धारण किया जाएगा।

(8) हलक़े में GIO के विस्तार और मज़बूती के पेशेनज़र State Co-Ordinator का निर्धारण किया जाएगा।

(9) हलक़े की सतह पर नौजवानों को संगठित और मज़बूत करने के लिए 'यूथविंग' के विस्तार और मज़बूती के लिए ख़ुसूसी तवज्जुह दी जाएगी। इस सिलसिले में ज़रूरत के मुताबिक़ ज़रूरी क़दम उठाए जाएँगे।

(10) औरतों में कामों को और ज़्यादा मज़बूत करने के लिए हलक़े की सतह

पर क़ायम शोबे को मज़बूत किया जाएगा और बाज़ाब्ता उसकी सेक्रेट्री को भी बहाल किया जाएगा।

(11) मुम्बई मैट्रो और मर्कज़ की तरफ़ से तयशुदा बड़े शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, मीक़ात के दौरान कुछ नए शहरों के निर्धारण पर ग़ौर और फ़ैसला किया जाएगा, ताकि जमाअत समाज के हर तबक़े में एक जानी-पहचानी और मज़बूत क़ुव्वत बन जाए।

(12) मुसलमानों की 25 प्रतिशत से ज़्यादा आबादीवाले नीचे लिखी जगहों पर जमाअत को क़ायम करने की कोशिश की जाएगी।

(i) मकरानीफ़ली (नन्दुरबार)

(ii) अक्कलकुवा (नन्दुरबार)

(iii) मंगरौल पीर (वाशिम)

(iv) चन्दुर बाज़ार (अमरावती)

(v) वाजे गाँव (नान्देड़)

(vi) कलमनूरी (हंगोली)

(vii) मालधे (नासिक)

(viii) महापूली (ठाणे)

(ix) खोनी (ठाणे)

(x) तारापुर (ठाणे)

(xi) तलूदे पंचनाद (रायगढ़)

(xii) पराण्डा (उसमानाबाद)

(xiii) नलदुर्ग (उसमानाबाद)

(xiv) कारले (रत्नागिरी)

(xv) ज़दगाँव (रत्नागिरी)

(xvi) अजरा (कोल्हापुर)

(13) नीचे लिखे ज़िलों में जमाअत क़ायम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी—

(i) सिन्धुदुर्ग (ii) नन्दुरबार, (iii) गोंदिया

(14) कोशिश की जाएगी कि नीचे लिखे ज़िलों में जमाअत का विस्तार हो। इस सिलसिले में हलक़े की सतह पर एक ज़िम्मेदार का निर्धारण किया जाएगा—

(i) रायगढ़ (ii) पूणे (iii) सांगली (iv) सतारा (v) कोल्हापुर (vi) शोलापुर (vii) धूले (viii) उसमानाबाद (ix) वाशिम (x) वर्धा (xi) भंडारा (xii) गढ़चिरौली

(15) मीक़ात के पहले और तीसरे साल हलक़े की सतह पर मक़ामी, ज़िलई और हलक़े के ज़िम्मेदारों पर आधारित तफ़हीमी और तंज़ीमी इज्तिमात आयोजित किए जाएँगे।

(16) हर छह माह पर हलक़े के शोबों और ज़िले के ज़िम्मेदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही मीक़ात में दो बार उनके ओरिएंटेशन (Orientation) कैम्प आयोजित किए जाएँगे।

(17) जारी मीक़ात के आख़िरी साल हलक़े की सतह पर अरकान का इज्तिमा आयोजित किया जाएगा।

(18) जमाअत से वाबस्तगी की याद्दिहानी और जमाअती ज़िन्दगी के तक़ाज़े से परिचय और उसके मुख़लिसाना तकमील के सिलसिले में अरकाने-जमाअत के लिए ज़िले की सतह पर मीक़ात में एक बार तंज़ीम इज्तिमा/वर्कशॉप का एहतिमाम किया जाएगा।

(19) एहतिसाब के असरदार निज़ाम के सिलसिले में अमीरे-हलक़ा और हलक़े के दूसरे ज़िम्मेदार मक़ामी जमाअतों का मीक़ात में कम-से-कम एक दौरा करेंगे।

■■

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

फ़ॉर्म कारकुन

आदरणीय अमीरे-मुक़ामी/नाज़िमे-ज़िला/नाज़िमे-इलाक़ा/अमीरे-हलक़ा जमाअते-इस्लामी हिन्द,

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,

मैं.................................पुत्र/पुत्री...

निवासी........................मुहल्ला.........................मकान नं०....................

डाकख़ाना...........................ज़िला..............................हलक़ा..................

का रहनेवाला/वाली हूँ।

1. मैंने जमाअते-इस्लामी हिन्द के दस्तूर (संविधान) की धारा-3 में दर्ज अक़ीदा 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' को उसकी व्याख्या के साथ अच्छी तरह समझ लिया है और मैं गवाही देता/देती हूँ कि यही मेरा अक़ीदा है।
2. जमाअत के लक्ष्य (नस्बुल-ऐन) को उसकी व्याख्या (संविधान की धारा-4) के साथ अच्छी तरह समझ लिया है और इक़रार करता/करती हूँ कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है।
3. जमाअत की कार्य-प्रणाली धारा-5 (संविधान जमाअत) को ध्यान से पढ़ लिया है और तसलीम करता/करती हूँ कि मैं इसका पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे जमाअत के कारकुन (Worker) की हैसियत से इक़ामते-दीन की ख़िदमत का मौक़ा दिया जाए।

हस्ताक्षर   दिनांक :   वस्सलाम

अन्य विवरण :

1. जन्म तिथि या आयु, 2. शिक्षा या शैक्षिक योग्यता, 3. व्यवसाय, 4. जमाअत की कौन-कौन-सी किताबें पढ़ी हैं?

मैं तसदीक़ करता हूँ कि मेरे इल्म की हद तक उपर्युक्त विवरण सही हैं।

दरख़ास्त मंजूर कर ली जाए। हस्ताक्षर कार्यकर्ता/सदस्य जमाअत

दरख़ास्त मंजूर की जाती है।

हस्ताक्षर : अमीरे-मक़ामी/नाज़िमे-ज़िला/नाज़िमे-इलाक़ा/अमीरे-हलक़ा

दिनांक :

जमाअत इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र राज्य

4/हामिद बिल्डींग, पहली मंजिल, 96 / हाफिज अली बहादुर मार्ग
मौलाना आजाद रोड, मोमिनपूरा, मुंबई - 400011
फोन : 23082820, फैक्स : 23052002
jihmaharashtra.org
office@jihmaharashtra.org